विषय सूची

परिच्छेद सं	अध्याय का नाम	पृष्ठ सं.
1	कार्यकारी सारांश	03-04
2	उद्देश्य	05
3	बोर्ड की संरचना	05
4	कार्य / शक्तियां	06
5	एनसीआर के संघटक क्षेत्र	07
6	काउंटर मैग्नेट क्षेत्र	08
7	योजना समिति	08-09
8	संगठन संरचना	10-11
9	2021-2022 के दौरान मुख्य क्रियाकलाप	12
9.1	एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना - 2041 की तैयारी	12
9.2	परिवहन क्षेत्र में प्रमुख पहल	13
9.2.1	एनसीआर में कनेक्टिविटी	13-15
9.2.2	एनसीआर में अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी सड़कें/लिंकेज	15
9.2.3	संयुक्त पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौता	15-16
9.3	"परिमाण" - एनसीआर के लिए भू-पोर्टल का विकास	17
9.4	एनसीआर का परिसीमन	18
9.5	एनसीआर क्षेत्रीय योजना-2021 के तहत उप-क्षेत्रीय योजनाओं की तैयारी	18
9.6	एनसीआर में नए जोड़े गए जिलों की उप-क्षेत्रीय योजनाओं की तैयारी	19
9.7	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के साथ वर्ष 2021-22 के लिए समझौता ज्ञापन	19
9.8	एनसीआर क्षेत्रीय योजना-2021 के कार्यान्वयन की निगरानी और मसौदा क्षेत्रीय योजना -2041 तैयार करना	19
9.9	वित्तीय संसाधन	20
9.10	संसाधन संग्रहण	21
9.11	बोर्ड द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं	21-23
9.12	परियोजनाओं का राज्य-वार और क्षेत्र-वार सारांश	23
9.13	एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का उप-क्षेत्रवार विवरण (31.03.2022 तक)	24-30
9.14	वर्ष के दौरान वितरित ऋण	31

परिच्छेद सं	अध्याय का नाम	पृष्ठ सं.
9.15	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान परियोजनावार जारी ऋण	31-34
9.16	जल सुरक्षित एनसीआर पर कार्यशाला - आजादी का अमृत महोत्सव	35
9.17	लेखाओं की लेखापरीक्षा	36
9.18	लेखापरीक्षा अवलोकन	36
9.19	सतर्कता	36-37
9.20	आरक्षण नीति	37
9.21	सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई)	37
9.22	पीओएसएच अधिनियम, 2013 का अनुपालन	37
9.23	एन.सी.आर.पी.बी. में राजभाषा को प्रोत्साहन	38
9.24	कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के खिलाफ लड़ाई पर की गई कार्रवाई	38
9.25	एन.सी.आर.पी.बी. में स्वच्छता अभियान	38
9.26	GeM (सरकारी ई-मार्केट प्लेस) के माध्यम से खरीद	38

अनुलग्नक		
अनुलग्नक - 9.2.2	एनसीआर में अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी सड़कें/लिंकेज	39
अनुलग्नक - 9.13	एन.सी.आर.पी.बी. से ऋण सहायता के साथ चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सूची (31 मार्च, 2022 तक)	40-50
अनुलग्नक - 9.18	सीएजी रिपोर्ट के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन और विभागीय स्थिति का सारांश	51-53

कार्यकारी सारांश

1. पिछला वित्तीय वर्ष चुनौतियों से निपटने में टीम-समाधान के महत्व को प्रदर्शित करने में एक आदर्श मार्गदर्शक रहा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) ने न केवल कोविड 19 महामारी संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर विजय प्राप्त की, बल्कि प्रमुख मुश्किलों को विफल कर उत्कृष्टता के नए पथ पर अग्रसर हुआ।

2. वर्ष के दौरान कई उपलब्धियों में से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए मसौदा क्षेत्रीय योजना - 2041 तैयार करना वर्ष का मुख्य बिंदु था, जिसे क्षेत्र के संतुलित और सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रतिभागी राज्य सरकारों और हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद तैयार किया गया था। इसे बोर्ड द्वारा 12 अक्टूबर 2021 को आयोजित 41वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित किया गया और 9 दिसंबर 2021 को प्रकाशित किया गया। इसके बाद, जनता / हितधारकों से सुझाव / आपत्तियां आमंत्रित की गईं। इस संबंध में मार्च 2022 तक एनसीआर प्रतिभागी राज्यों/उनके विभागों/प्राधिकरणों, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, जन प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों/लोगों के समूह, व्यक्तियों आदि से 2700 से अधिक ईमेल या पत्र प्राप्त हुए थे। प्राप्त आपत्तियों और सुझावों के आधार पर, एसपीए-दिल्ली के परामर्श से एनसीआर के लिए मसौदा क्षेत्रीय योजना-2041 में उपयुक्त संशोधन किए गए हैं। एसपीए-दिल्ली द्वारा समीक्षा की गई मसौदा क्षेत्रीय योजना -2041 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे बोर्ड की अगली बैठक में अनुमोदन के लिए रखा जा रहा है।

3. वर्ष के दौरान एक और बड़ी उपलब्धि पूरे एनसीआर में निर्बाध परिवहन गतिविधियों में सुधार के लिए कान्ट्रेक्ट कैरिज और स्टेज कैरिज के संबंध में **संयुक्त पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौते (सीआरसीटीए)** पर हस्ताक्षर करना था। प्रतिभागी राज्यों के साथ लंबी चर्चा के बाद, अगस्त 2021 में एक संयुक्त स्टेज कैरिज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज आरसीटीए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और यह 31 अगस्त 2031 तक वैध है, जिसने सभी स्टेज कैरिज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के लिए निर्बाध आवाजाही का लाभ दिया है। अब सभी राज्य के स्वामित्व वाली स्टेज कैरिज बसों के लिए एकल बिंदु कराधान लाभ जारी किया गया है। टैक्सी, कैब आदि जैसे अनुबंध कैरिज के लिए पहले उपलब्ध एकल बिंदु कराधान लाभ को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा एक और नई पहल में, संयुक्त आरसीटीए शैक्षणिक संस्थानों के स्वामित्व वाली सभी बसों को रोड टैक्स में छूट प्रदान करता है। यह एनसीआर के नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए साझा उद्देश्यों के लिए संयुक्त रूप से काम करने के लिए एन.सी.आर.पी.बी. और एनसीआर भागीदार राज्यों के प्रयासों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

4. वर्ष 2021-22 के दौरान, नई परियोजनाओं (पीएसएमजी द्वारा) के लिए स्वीकृत कुल राशि 500.00 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन के मुकाबले 779.84 करोड़ रुपये थी। इस अवधि के दौरान, सहभागी राज्यों की संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) को बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए एमओयू लक्ष्य 200.00 करोड़ रुपये के मुकाबले 205.79 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

5. रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड अपने कामकाज के सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता, अखंडता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए शासन के सिद्धांतों और प्रथाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है। वर्ष 2020-21 के वार्षिक खातों को भारत के सीएजी के पास अनुमोदित और प्रस्तुत किया गया था। उक्त खातों की भारत के सीएजी द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई थी और संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखने के लिए बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट के साथ समय पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एचयूए) को अग्रेषित की गई थी। इन्हें संसद में क्रमश: 28 मार्च 2022 और 31 मार्च 2022 को राज्यसभा और लोकसभा के पटल में रखा गया था।

6. स्वास्थ्य, सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है और हमारे सभी प्रयासों की नींव है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, एन.सी.आर.पी.बी. कार्यालय में 02 अक्टूबर, 2021 से 31 अक्टूबर, 2021 की अवधि के दौरान लंबित मामलों के निपटान के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान, लोक शिकायतों के प्रभावी निपटान, संसद सदस्यों और राज्य सरकारों के संदर्भ, अंतर-मंत्रालय परामर्श, संसदीय संदर्भ आदि के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। एन.सी.आर.पी.बी. ने साफ-सफाई, काम का अच्छा माहौल आदि को सुनिश्चित करने के लिए फाइलों, पुराने फर्नीचर, कबाड़ सामग्री की छंटाई का भी अभियान चलाया। 4717 से अधिक फाइलों की समीक्षा की गई और 1613 फाइलों को स्क्रैप कर दिया गया। 300 वर्ग फुट से अधिक कार्यालय की जगह पुरानी स्क्रैप सामग्री, ई-कचरा और अन्य स्क्रैप सामग्री से मुक्त कर दी गई थी जिसे दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) और अन्य विक्रेताओं को बेच कर रिवेन्यू भी प्राप्त किया।

7. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक सांविधिक निकाय होने के नाते समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए, बोर्ड अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / पीडब्ल्यूबीडी (बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों)/ भूतपूर्व सैनिक / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए सेवाओं में आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों और दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन करता है।) इसके अतिरिक्त, राजभाषा के प्रचार और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वर्ष के दौरान कई पहल की गईं। उपरोक्त के अलावा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 आदि के प्रावधानों को बोर्ड में अक्षरश: लागू किया गया है।

*****

2. उद्देश्य

निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन किया गया था:-

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना तैयार करना;
- उक्त योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी करना; तथा
- इस क्षेत्र में भू-उपयोगों के नियंत्रण के लिए सुसंगत नीतियां बनाना और बुनियादी सुविधा का विकास करना ताकि इस क्षेत्र के अव्यवस्थित विकास से बचा जा सके ।

3. बोर्ड की सरंचना

बोर्ड का वर्तमान गठन इस प्रकार है:

1.	केन्द्रीय मंत्री, आवासन एवं शहरी कार्य, भारत सरकार	अध्यक्ष
2.	मुख्यमंत्री, हरियाणा	सदस्य
3.	मुख्यमंत्री, राजस्थान	सदस्य
4.	मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य
5.	उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली	सदस्य
6.	मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली	सदस्य
7.	शहरी विकास मंत्री, राजस्थान सरकार	सदस्य
8.	शहरी विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
9.	अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड	सदस्य
10.	सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	सदस्य
11.	सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	सदस्य
12.	मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार	सदस्य
13.	मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	सदस्य
14.	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
15.	मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली सरकार	सदस्य
16.	प्रधान सचिव, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार	सदस्य
17.	सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	सदस्य सचिव

सहयोगित सदस्य:

1.	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
2.	मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, भारत सरकार

4. कार्य / शक्तियाँ

कार्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 7 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कार्य निम्नलिखित है:

(क) क्षेत्रीय योजना और प्रकार्य योजना तैयार करना;

(ख) प्रतिभागी राज्यों मे से प्रत्येक द्वारा और संघ राज्यक्षेत्र द्वारा उपक्षेत्रीय योजना और परियोजना प्लान तैयार किए जाने की व्यवस्था करना;

(ग) प्रतिभागी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र के माध्यम से क्षेत्रीय योजना, प्रकार्य योजनाओं, उप-क्षेत्रीय योजनाओं और परियोजना प्लानों के प्रवर्तन और कार्यान्वयन का समन्वय करना;

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या उपक्षेत्रों में परियोजनाएँ बनाने, पूर्विकताएँ अवधारित करने और क्षेत्रीय योजना में उपदर्शित प्रक्रमों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास का समंजन करने की बाबत प्रतिभागी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र द्वारा उचित और व्यवस्थित कार्यक्रम सुनिश्चित करना;

(ङ) केन्द्रीय और राज्य योजना निधियों और राजस्व के अन्य स्रोतों के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चुनी गईं विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण की व्यवस्था करना और उनका पर्यवेक्षण करना।

शक्तियाँ

रा.रा.क्षे.यो.बो. अधिनियम, 1985 की धारा 8 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की शक्तियाँ निम्नलिखित है:

(क) प्रकार्य योजनाओं और उपक्षेत्रीय योजनाओं को तैयार करने, उनके प्रवर्तन और कार्यान्वयन की बाबत, प्रतिभागी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र से रिपोर्टें और जानकारी मंगाना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि, प्रकार्य योजना और उपक्षेत्रीय योजना की तैयारी, प्रवर्तन और कार्यान्वयन जैसा भी मामला हो, क्षेत्रीय योजना के अनुरूप है;

(ग) क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रम उपदर्शित करना;

(घ) क्षेत्रीय योजना, प्रकार्य योजना, उपक्षेत्रीय योजना और परियोजना प्लान के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करना;

(ङ) व्यापक परियोजनाओं का चयन और अनुमोदन करना, पूर्विकता विकास की मांग करना और उन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ऐसी सहायता की व्यवस्था करना जो बोर्ड ठीक समझे;

(च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर, किसी ऐसे नगर क्षेत्र का, जिसका उसकी अवस्थिति, जनसंख्या और विकास की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय योजना के उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से विकास किया जा सके, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से, चयन करना;

(छ) समिति को ऐसे अन्य प्रकार्य सौंपना, जो वह इस अधिनियम के उपबंधो को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे।

5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संघटक क्षेत्र

5.1 जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की अनुसूची {धारा 2 (च)} में एवं तत्पश्चात, 14.03.1986 और 23.08.2004 (अलवर जिले के शेष हिस्से को शामिल करने के लिए) की अधिसूचनाओं में परिभाषित किया गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगभग 34,144 वर्ग कि.मी. का क्षेत्र शामिल है जो कि चार राज्यों अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्राधिकार में है। उपर्युक्त क्षेत्र के लिए तैयार क्षेत्रीय योजना-2021 को वर्ष 2005 में अधिसूचित किया गया था।

5.2 इसके पश्चात, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुछ नए क्षेत्रों/ज़िलो का सम्मिलन किया गया जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है:

हरियाणा राज्य के भिवानी और महेंद्रगढ़ ज़िले तथा राजस्थान का भरतपुर ज़िला	भारत सरकार की दिनांक 1.10.2013 की अधिसूचना के द्वारा
हरियाणा राज्य के जींद एवं करनाल ज़िले तथा उत्तर प्रदेश का मुज़फ्फरनगर ज़िला	भारत सरकार की दिनांक 24.11.2015 की अधिसूचना के द्वारा
उत्तर प्रदेश का शामली ज़िला	भारत सरकार की दिनांक 16.04.2018 की अधिसूचना के द्वारा

5.3 इन अधिसूचनाओं एवं अनुमोदनों के पश्चात, एनसीआर का क्षेत्र करीब 55,083 वर्ग किमी है जिसकी जनसंख्या लगभग 581.5 लाख (जनगणना 2011 के अनुसार) है। उपक्षेत्र-वार क्षेत्रफल का ब्यौरा निम्नलिखित है:

उप क्षेत्र	**जिलों के नाम**	**क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में**	**जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या (लाख में)**
हरियाणा	फरीदाबाद, गुरूग्राम, नुह (भूतपूर्व मेवात), रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल	25,327	164.3
उत्तर प्रदेश	मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मुज़फ्फरनगर और शामली	14,826	187.1
राजस्थान	अलवर और भरतपुर	13,447	62.2
दिल्ली	सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली	1,483	167.9
	कुल	**55,083**	**581.5**

6. काउंटर मैग्नेट क्षेत्र

6.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 8(च) के तहत बोर्ड को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संबंधित राज्य के परामर्श से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर कोई भी क्षेत्र, उसके स्थान, जनसंख्या और विकास की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए काउंटर-मैग्नेट क्षेत्र (सीएमए) के रूप में विकसित करने के लिए चुन सकता है ताकि क्षेत्रीय योजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। नौ काउंटर-मैग्नेट क्षेत्र है, जो इस प्रकार हैं:

(क) हरियाणा में हिसार
(ख) हरियाणा में अम्बाला
(ग) उत्तर प्रदेश में बरेली
(घ) उत्तर प्रदेश में कानपुर-लखनऊ कॉरीडोर
(ङ) राजस्थान में कोटा
(च) राजस्थान में जयपुर
(छ) मध्य प्रदेश में ग्वालियर
(ज) पंजाब में पटियाला-राजपुरा कॉरीडोर
(झ) उत्तराखंड में देहरादून

6.2 क्षेत्रीय योजना-2021 के अनुसार, काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों की परिकल्पना दो अलग परंतु परस्पर पूरक भूमिकाओं के लिए की गई थी, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

क. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवासी प्रवाह के अवरोधक के तौर पर, जिसमें तीव्रता से वृद्धि हो सकती है, क्योकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास आस पास के कम विकसित क्षेत्रों से प्रवासियों को आकर्षित करेगा; और

ख. क्षेत्रीय विकास केन्द्रों के रूप में जिनसे इन केन्द्रों की अपनी स्थापनाओं के कुछ समय बाद इस क्षेत्र में शहकरीकरण का संतुलित पैटर्न बन पाएगा ।

7. योजना समिति

7.1 गठन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम की धारा 4(1) और (2) के तहत एक योजना समिति के गठन का अधिदेश दिया गया है। बोर्ड के सदस्य सचिव इस योजना समिति के पदेन अध्यक्ष हैं। योजना समिति का गठन इस प्रकार हैं:

1.	सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय (वर्तमान में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय) आवास एवं शहरी विकास के मामलों से संबंधित	सदस्य
3.	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, हरियाणा	सदस्य
4.	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, राजस्थान	सदस्य
5.	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, उत्तर प्रदेश	सदस्य
6.	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली	सदस्य
7.	उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण	सदस्य
8.	मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन	सदस्य
9.	निदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा	सदस्य
10.	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार	सदस्य
11.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य

7.2 सहयोगित सदस्य

1. वरिष्ठ सलाहकार (एच.यू.डी.), योजना आयोग (वर्तमान में नीति आयोग)
2. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, आवासन और शहरी विकास निगम
3. संयुक्त सचिव (यू.टी.), शहरी विकास मंत्रालय (वर्तमान में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय)
4. संयुक्त सचिव (आई.ए.), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार
5. मुख्य क्षेत्रीय नियोजक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

7.3 योजना समिति के कार्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 9 में यथा उल्लेखित अनुसार योजना समिति के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:

(1) समिति के कृत्य:

(क) क्षेत्रीय योजना और प्रकार्य योजनाओं को तैयार करने में और उनके समन्वित कार्यान्वयन में; और

(ख) उपक्षेत्रीय योजनाओं और सभी परियोजना प्लानों की यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे क्षेत्रीय योजना के अनुरूप हैं जांच करने मे, बोर्ड की सहायता करना होगा।

(2) समिति किसी उपक्षेत्रीय योजना या किसी परियोजना प्लान को संशोधित या उपांतरित करने के लिए बोर्ड से ऐसी सिफारिश कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे।

(3) समिति ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जो बोर्ड द्वारा उसे सौंपे जाएं।

8.0 संगठनात्मक संरचना

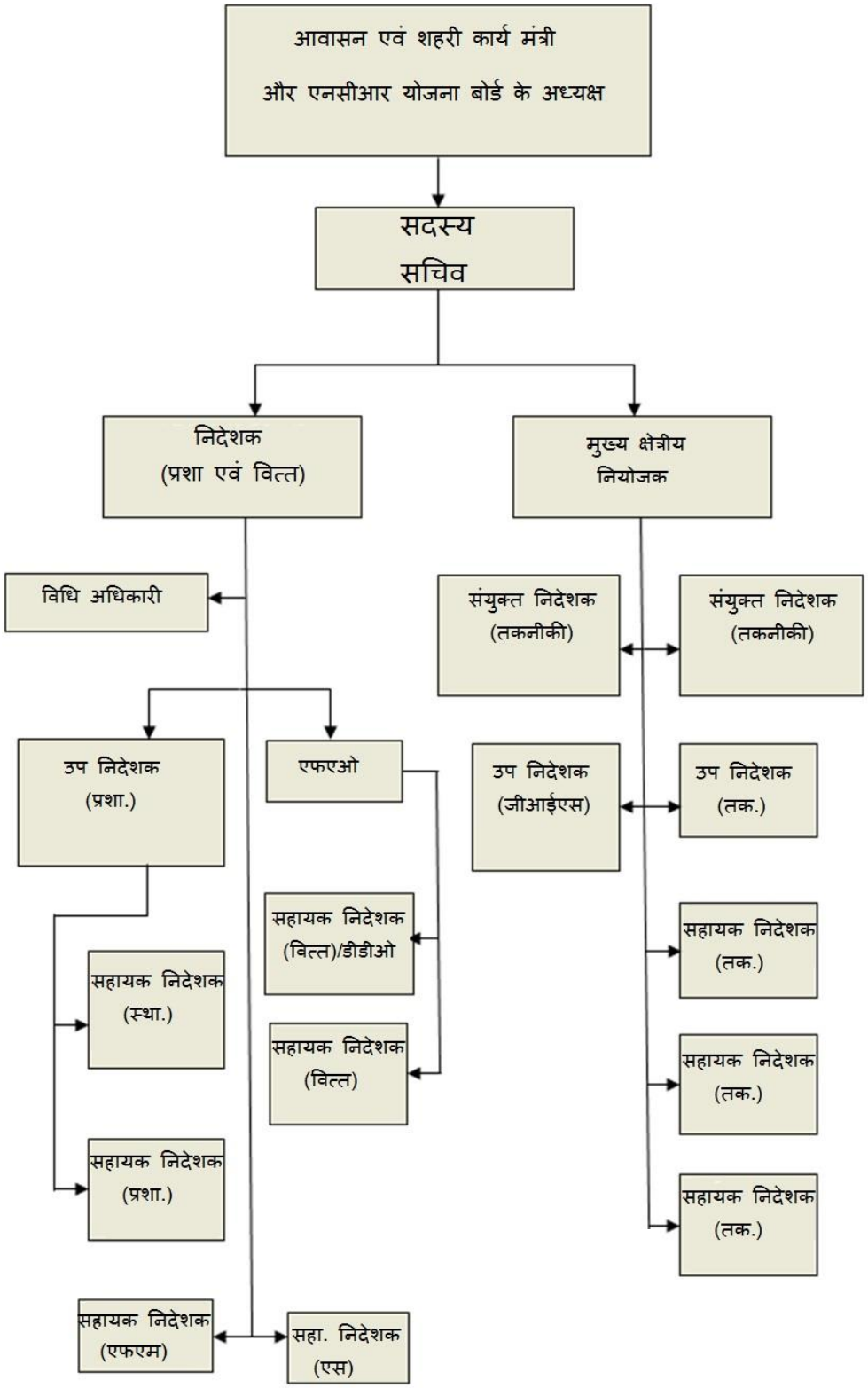

8.1 श्रमशक्ति

एन.सी.आर.पी.बी. के सचिवालय में योजना, प्रशासन, वित्त और परियोजना विंग शामिल हैं। 31.03.2022 को बोर्ड की कुल स्वीकृत और वास्तविक संख्या इस प्रकार है:

श्रेणी	स्वीकृत संख्या	वास्तविक संख्या
समूह 'क'	15	9
समूह 'ख'	6	3
समूह 'ग'	24	22
समूह 'घ'	7	6
कुल	**52**	**40**

8.2 31.3.2022 तक प्रबंधन टीम

क्रम सं.	नाम	पदनाम
1.	श्रीमती अर्चना अग्रवाल	सदस्य सचिव
2.	पद रिक्त	मुख्य क्षेत्रीय नियोजक@
3.	श्री जगदीश पारवानी	निदेशक (प्रशा एवं वित्त)
4.	पद रिक्त	सन्युक्त निदेशक (तक.)*
5.	पद रिक्त	सन्युक्त निदेशक (तक.)*
6.	पद रिक्त	विधि अधिकारी**#
7.	श्री नबील जाफरी	उप निदेशक (तक.-जीआईएस)
8.	श्री हर्ष कालिया	उप निदेशक (प्रशा.)- चिकित्सीय आधार पर अवकाश पर#
9.	श्री रमेश देव	उप निदेशक (तक.- यूआरपी)
10.	श्री अजिताभ सक्सेना	वित्त एवं लेखा अधिकारी
11.	श्री अभिजीत सामंता	उप निदेशक (तक.)***
12.	श्रीमती निलिमा माझि	उप निदेशक (तक.)***
13.	श्री नरेश कुमार	सहायक निदेशक (तक.)
14.	पद रिक्त	सहायक निदेशक (वि.प्र.)**
15.	पद रिक्त	सहायक निदेशक (सु.उ.)**
16.	श्री सत्यबीर सिंह	सहायक निदेशक (तक.)***
17.	श्री एस. के. कटारिया	सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ
18.	श्री शिरीष शर्मा	सहायक निदेशक (प्रशा.)
19.	पद रिक्त	सहायक निदेशक (वित्त)#
20.	पद रिक्त	सहायक निदेशक (स्था.)#

*पद का पुनरुद्धार प्रक्रिया में

** भर्ती नियमों (आरआर) में संशोधन और पद के पुनरुद्धार की प्रक्रिया चल रही है।

*** असेसमेंट स्कीम के तहत इन-सीटू प्रमोशन दिया गया।

सलाहकार नियुक्त

@ *भर्ती नियमों (आरआर) में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है*

9. पूर्वव्यापी में वर्ष 2021-2022 की मुख्य बातें

वर्ष **2021-22** के दौरान की गई प्रमुख गतिविधियों और प्राप्त उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

9.1 एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2041 की तैयारी

एन.सी.आर.पी.बी. ने एनसीआर के लिए मसौदा क्षेत्रीय योजना-2041 तैयार किया है जिसे एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा 12.10.2021 को आयोजित अपनी 41वीं बैठक में सभी हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए अनुमोदित किया गया था। तदनुसार, एन.सी.आर.पी.बी. अधिनियम की धारा 12(1) और एन.सी.आर.पी.बी. नियम 1985 के नियम 23 के अनुसार, बोर्ड अध्यक्ष के अनुमोदन (08.12.21) के बाद मसौदा क्षे.यो.-2041(आरपी-2021), 09.12.2021 को 30 दिनों में जनता की आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया। आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने की अंतिम तिथि 07.01.2022 थी।

इसके बाद, मार्च 2022 तक एनसीआर प्रतिभागी राज्यों/उनके विभागों/प्राधिकरणों, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, जन प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों/लोगों के समूह, व्यक्तियों आदि से आपत्तियों और सुझावों वाले लगभग 2700 ईमेल/पत्र प्राप्त हुए। इसके अलावा, आपत्तियों और सुझावों के आधार पर एसपीए-दिल्ली के परामर्श से एनसीआर के लिए मसौदा क्षेत्रीय योजना-2041 में उपयुक्त संशोधन किए गए हैं। एसपीए-दिल्ली द्वारा समीक्षा की गई मसौदा क्षेत्रीय योजना -2041 को विचार और अनुमोदन के लिए अगली बैठक में बोर्ड के समक्ष रखने के लिए अंतिम रूप दिया गया है।

9.2 परिवहन क्षेत्र में प्रमुख पहल

9.2.1 एनसीआर में कनेक्टिविटी:

क) सड़क नेटवर्क

(i) क्षेत्रीय योजना-2021 क्षेत्र में परिकल्पित विकास को प्रोत्साहित करने, मार्गदर्शन करने और जारी रखने और एनसीटी-दिल्ली और क्षेत्रीय शहरों के बीच उच्च यातायात संपर्क को पूरा करने के लिए पदानुक्रमित सड़क नेटवर्क का प्रस्ताव करता है। एनसीआर में प्रस्तावित पदानुक्रमित सड़क नेटवर्क का कार्यान्वयन एनसीआर प्रतिभागी राज्यों और केंद्र सरकार के संबंधित विभागों द्वारा किया जाता है।

(ii) क्षेत्रीय योजना-2021 का एक उद्देश्य संतुलित क्षेत्रीय सतत विकास के लिए भूमि उपयोग पैटर्न के साथ अच्छी तरह से एकीकृत कुशल और आर्थिक रेल और सड़क आधारित परिवहन प्रणाली (बड़े पैमाने पर परिवहन प्रणालियों सहित) प्रदान करना है। इसके बाद, एनसीआर योजना बोर्ड ने एनसीआर-2032 के लिए परिवहन पर एक कार्यात्मक योजना एफटीपी-2032 तैयार की है और प्रस्तावों/नीतियों/ सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए इसे प्रतिभागी राज्यों/ संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को परिचालित किया है। एफ़टीपी-2032 के प्रावधानों/प्रस्तावों को प्रतिभागी राज्य सरकारों/संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। इसके अलावा, एन.सी.आर.पी.बी. बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सॉफ्ट लोन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी आश्वासन देता है।

(iii) एनसीआर के लिए परिवहन -2032 पर कार्यात्मक योजना के प्रस्तावों में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, नई रेल लाइनें, क्षेत्रीय मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, एक्सप्रेसवे, सड़कों का उन्नयन, बस परिवहन-प्रणाली, बस टर्मिनल, लॉजिस्टिक हब, एकीकृत फ्रेट कॉम्प्लेक्स, राजमार्ग सुविधा केंद्र, हवाई अड्डे (आवश्यक भूमि का निर्धारण सहित) शामिल हैं।

(iv) प्राथमिक सड़कें क्षेत्रीय/प्राथमिकता वाले शहरों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली से जोड़ने वाली रेडियल सड़कों को कवर करती हैं। क्षेत्रीय योजना -2021 ने मौजूदा रिंग रोड, बाहरी रिंग रोड और पांच रेडियल सड़कों (राष्ट्रीय राजमार्ग) को केंद्रीय एनसीआर (सीएनसीआर) कस्बों (यानी एनएच 1 दिल्ली से कुंडली, एनएच 2 दिल्ली से बल्लभगढ़, एनएच 8 दिल्ली से गुड़गांव एनएच 10 दिल्ली से बहादुरगढ़ और एनएच 24 दिल्ली से गाजियाबाद) एक्सप्रेसवे मानकों पर विकास के लिए प्रस्तावित किए। इनमें निम्नलिखित सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कर चालू कर दिया गया है।

एए) वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (डब्ल्यूपीई) का कार्यान्वयन जिसे कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे के रूप में भी जाना जाता है, हरियाणा राज्य औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम (एचएसआईआईडीसी), हरियाणा सरकार द्वारा किया गया था। पलवल से मानेसर तक WPE का हिस्सा 2016 में चालू किया गया था और शेष भाग नवंबर 2018 में चालू किया गया है

एबी) 135 किमी लंबे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (EPE) को मई 2018 में चालू किया गया था। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा कार्यान्वित किया गया है, वह भी जनता के इस्तेमाल के लिए चालू कर दिया गया है ।

बी) रेल नेटवर्क

(i) क्षेत्रीय योजना -2021 ने प्रस्तावित किया कि अकेले सड़क नेटवर्क के विकास से एनसीआर में परिवहन की मांग को पूरा नहीं किया जा सकेगा। इसलिए, मांग और आपूर्ति में अंतर को पूरा करने के लिए एक सहायक रेल नेटवर्क विकसित करना होगा। इन नेटवर्कों की प्रणाली को एकीकृत तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है।

(ii) क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम

एए) क्षेत्रीय योजना-2021 ने प्रस्तावित किया कि प्राथमिक क्षेत्रीय रेल नेटवर्क को विशिष्ट कॉरिडोर की मांग को पूरा करने के लिए समर्पित लाइनों के माध्यम से क्षेत्रीय केंद्रों को एक दूसरे के बीच और दिल्ली के साथ जोड़ना चाहिए और इसे क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। एनसीआर-2032 के लिए परिवहन पर कार्यात्मक योजना एनसीआर के यात्रियों के लिए दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ, दिल्ली-गुड़गांव-रेवाड़ी-अलवर, दिल्ली-सोनीपत-पानीपत, दिल्ली-फरीदाबाद-बल्लभगढ़-पलवल, गाजियाबाद-खुर्जा, दिल्ली-बहादुरगढ़-रोहतक, गाजियाबाद-हापुड़ और दिल्ली-शाहदरा-बड़ौत नामक तेज और कुशल आठ आरआरटीएस कॉरिडोर की सिफारिश करती है।

एबी) दिल्ली-मेरठ, दिल्ली-पानीपत और दिल्ली-अलवर के बीच 381 किलोमीटर की क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजनाएं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। एनसीआरटीसी भारत सरकार, राजस्थान, यूपी, हरियाणा और दिल्ली राज्यों का एक संयुक्त उद्यम है, तथा एनसीआर में आरआरटीएस परियोजना की योजना और कार्यान्वयन हेतु स्थापित किया गया है।

एसी) तीन गलियारों अर्थात दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ, दिल्ली गुरुग्राम-रेवाड़ी-अलवर और दिल्ली-सोनीपत-पानीपत को एनसीआरटीसी द्वारा पहले चरण में विकास के लिए लिया जा रहा है। मेरठ-गाजियाबाद दिल्ली कॉरिडोर पर कार्य प्रगति पर है।

(iii) दिल्ली और सीएनसीआर कस्बों के लिए एमआरटीएस

क्षेत्रीय योजना-2021 ने प्रस्तावित किया कि मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) को सीएनसीआर शहरों में विस्तारित किया जाए और दिल्ली में उन्नत रिंग रेलवे के साथ एकीकृत किया जाए और प्रस्तावित क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के साथ एकीकृत किया जाए। यह भी प्रस्तावित है कि एमआरटीएस और आरआरटीएस की योजना उपयुक्त एकीकृत फीडर रेल/सड़क सेवाओं के साथ बनाई जानी है। एमआरटीएस (मेट्रो) का विस्तार सीएनसीआर शहरों जैसे गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद-वैशाली, फरीदाबाद-बल्लभगढ़ और बहादुरगढ़ तक कर दिया गया है।

9.2.2 एनसीआर में अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी सड़कें/लिंकेज

एनसीआर घटक राज्यों के बीच विभिन्न अंतर्राज्यीय संपर्क सड़क/लिंकेज मुद्दे (अनुलग्नक-9.2.2) हैं। एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा अंतर्राज्यीय मुद्दों को हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उक्त लिंकेज में से, दो मुद्दों नामतः बवाना औचंडी मार्ग का एसएच 18 हरियाणा तक विस्तार और कालिंदी कुंज-नोएडा के पास यमुना नदी पर दूसरे पुल के निर्माण का समाधान किया गया है और यह लिंक जनता के लिए खुल चुके हैं। शेष लिंकेज के लिए एन.सी.आर.पी.बी. एनसीआर में प्रतिभागी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की संबंधित एजेंसियों/विभागों के साथ लगातार प्रयास कर रहा है।

9.2.3 संयुक्त पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौता (सीआरसीटीए):

i. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घटक राज्यों हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के परिवहन सचिवों/आयुक्तों (सीओटीएस) की एक समिति सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की अध्यक्षता में गठित की गई थी जो वाहनों के अंतर-राज्यीय आवागमन के सभी पक्षों से संबंधित कार्य देखती है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी संघटक क्षेत्रों के लिए बहुपक्षीय करारों के साझा स्वरूप पर विचार करती है, जिन पर एनसीआर में वाहनों के निर्बाध आवागमन को सुगम बनाने के लिए एनसीआर के घटक राज्य हस्ताक्षर कर सकते हैं|

ii. दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच दो पारस्परिक आम परिवहन समझौतों (आरसीटीए) पर हस्ताक्षर किए गए। जहां 14.10.2008 को 'कॉन्ट्रैक्ट कैरिज' के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, वहीं 'स्टेज कैरिज' के लिए समझौते पर 22.04.2010 को हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों समझौते घटक राज्यों द्वारा अधिसूचित किए गए थे और 10 साल के लिए यानी 'कॉन्ट्रैक्ट कैरिज' के लिए 13.10.2018 तक और 'स्टेज कैरिज' के लिए 21.10.2020 तक या नए समझौते पर हस्ताक्षर होने तक वैध थे। इसके बाद समझौतों को समय-समय पर बढ़ाया गया।

iii. इसके बाद, स्टेज और कॉन्ट्रेक्ट कैरिज के लिए (संयुक्त) पारस्परिक आम परिवहन समझौते पर सहमति हुई और हरियाणा सरकार, एनसीटी-दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच हस्ताक्षर किए गए, और इसकी जानकारी 31.08.2021 को आयोजित 40 वीं बोर्ड बैठक में साझा की गई। इसके बाद एनसीआर प्रतिभागी राज्यों को अपने राज्यों के भीतर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा (5) और (6) के तहत आवश्यक आवश्यक कार्रवाई पूरी करनी थी। जबकि हस्ताक्षरित समझौता 31.08.2021 को जारी किया गया था, राज्यों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत स्टेज और कॉन्ट्रेक्ट कैरिज के लिए सीआरसीटीए को अधिसूचित करना था, आगे के आदेश समय-समय पर सभी एनसीआर प्रतिभागी राज्यों की सहमति से जारी किए गए थे, जिसमें दोनों मौजूदा कॉन्ट्रेक्ट/स्टेज कैरिज आरसीटीए के विस्तार के सम्बंध मे बताया गया था। इस तरह के विस्तार आदेशों ने यह भी सूचित किया कि इन आरसीटीए के संबंध में ऐसी विस्तारित तिथियों तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, यथास्थिति बनाए रखी जाए।

iv. अब, सभी एनसीआर राज्यों ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा (5) और (6) के तहत आवश्यक आवश्यक कार्रवाई पूरी कर ली है और बिना किसी बदलाव के स्टेज और कॉन्ट्रेक्ट कैरिज के लिए (संयुक्त) आरसीटीए अधिसूचित किया है। 31.08.2021 को हस्ताक्षरित स्टेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के लिए सीआरसीटीए के पैरा 1 में प्रावधान है कि "एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा हस्ताक्षरित समझौते के जारी होने पर यह समझौता तत्काल प्रभाव से लागू होगा।" इसके अलावा, हस्ताक्षरित समझौते के पैरा 5.2 में कहा गया है कि "यह समझौता हस्ताक्षर करने की तारीख से अगले 10 वर्षों के लिए या घटक राज्यों के बीच एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने तक, जो भी पहले हो, तक वैध होगा।"

v. एनसीआर में यात्री वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए समझौता अब अंतत: जारी किया गया है और 25.03.2022 से प्रभावी है। स्टेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के लिए यह संयुक्त आरसीटीए हस्ताक्षर करने की तारीख से 10 साल के लिए यानी 31.08.2031 तक या इस तरह के प्रावधानों के अनुसार घटक राज्यों के बीच एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए वैध होगा।

vi. परिवहन सचिवों/आयुक्तों (सीओटीएस) की समिति की सात (7) बैठकें 17.06.2021, 16.09.2021, 08.10.2021, 02.12.2021, 20.01.2022, 07.03.2022 और 17.03.2022 को सीआरसीटीए को अंतिम रूप देने और विभिन्न अंतर-राज्यीय लिंकेज मुद्दे के समाधान के लिए आयोजित की गईं।

9.3 "परिमाण" - एनसीआर के लिए भू-पोर्टल का विकास:

संपूर्ण एनसीआर के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस रिपॉजिटरी की आवश्यकता पर विचार करते हुए और रिमोट सेंसिंग और जीआईएस प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के लिए, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के माध्यम से एनसीआर प्रतिभागी राज्यों और एन.सी.आर.पी.बी. के कार्यालय द्वारा उपयोग के लिए एक वेब भू-पोर्टल विकसित किया गया है। भू-पोर्टल विकसित करने का प्रस्ताव एनआईसी से प्राप्त हुआ था और सदस्य सचिव, एन.सी.आर.पी.बी. की अध्यक्षता में दिनांक 10.10.2019 को आयोजित परियोजना स्वीकृति और निगरानी समूह- II (पीएसएमजी-II) की 14 वीं बैठक में विचार-विमर्श और रुपये 9,97,454.2 की मामूली लागत पर अनुमोदित किया गया था। पोर्टल में लगभग 179 परतें/उप-परतें हैं जो लाइन, पॉइंट और पॉलीगॉन फीचर के रूप में प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें भूमि उपयोग, परिवहन, उद्योग, जल, बिजली, स्वास्थ्य, आश्रय, विरासत और पर्यटन, आपदा प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों का विवरण शामिल है। 23.02.2021 को आयोजित 69वीं योजना समिति की बैठक में एनआईसी द्वारा भू-पोर्टल पर एक प्रस्तुति दी गई। उक्त बैठक में प्रतिभागियों द्वारा दिए गए अवलोकन/सुझाव थे, जिन्हें एनआईसी द्वारा उपयुक्त रूप से शामिल किया गया था। एन.सी.आर.पी.बी. की जीआईएस टीम पोर्टल में किए जाने वाले आवश्यक संशोधनों के संबंध में एनआईसी के साथ लगातार चर्चा और अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है।

एनसीआर के लिए अपनी तरह के इस पहले वेब भू-पोर्टल को विकसित करने के लिए, उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस, एक्सेस कंट्रोल और गतिशील कार्यात्मकताओं आदि के साथ एक मजबूत केंद्रीय डेटाबेस भंडार विकसित किया गया है। एनसीआर के लिए 'परिमाण' के नाम से जाना जाने वाला भू-पोर्टल 31.08.2021 को बोर्ड की 40वीं बैठक में माननीय अध्यक्ष, एन.सी.आर.पी.बी. और केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य के कैबिनेट मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है।

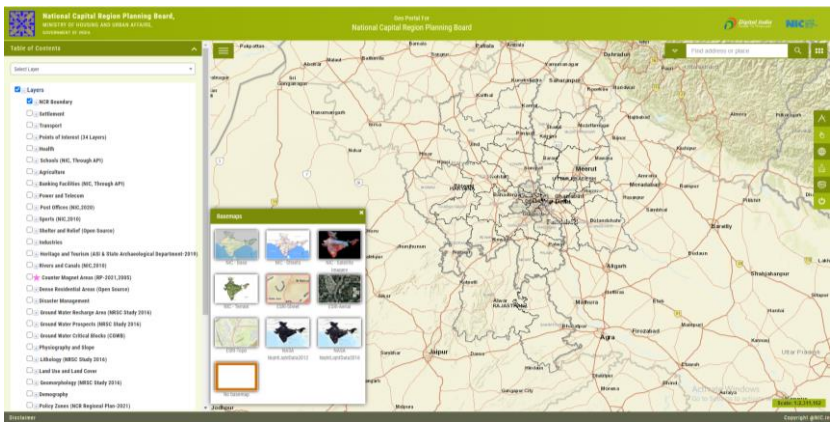

9.4 एनसीआर का परिसीमन

बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार, एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा एनसीआर के परिसीमन के लिए समिति का गठन किया गया था और 'एनसीआर के परिसीमन' पर एक मसौदा रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिस पर योजना समिति (15.07.2019) की 67वीं बैठक और उसके बाद बोर्ड की 38वीं बैठक (13.09.2020) में विचार-विमर्श किया गया था। बोर्ड की बैठक के दौरान अध्यक्ष, एन.सी.आर.पी.बी. के निर्देशानुसार, मसौदा रिपोर्ट में सुझाई गई सिफारिशों/विकल्पों पर चर्चा करने के लिए 17.01.2020 को विज्ञान भवन में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में एनसीआर प्रतिभागी राज्यों के विशेषज्ञों, हितधारकों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इसके अलावा, एनसीआर परिसीमन पर बैठक 18.11.2020 को अ.स.(डी), एमओएचयूए की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसके बाद 05.10.2020 को आयोजित बोर्ड की 39 वीं बैठक के निर्णयों के अनुसार सचिव, एचयूए की अध्यक्षता में 12.01.2021 और 12.03.2021 को बैठक हुई थी। इस मामले पर बोर्ड द्वारा क्रमशः 31.08.2021 और 12.10.2021 को आयोजित 40वीं और 41वीं बोर्ड बैठकों में चर्चा की गई। एन.सी.आर.पी.बी. एनसीआर प्रतिभागी राज्यों के परामर्श से सुझाए गए मानकों पर काम कर रहा है।

9.5 एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 के अंतर्गत उप-क्षेत्रीय योजनाओं की तैयारी

(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 17(1) के अनुसार "प्रत्येक भाग लेने वाला राज्य उस राज्य के भीतर के उपक्षेत्र के लिए एक उपक्षेत्रीय योजना तैयार करेगा और संघ राज्यक्षेत्र, संघ राज्यक्षेत्र के भीतर के उपक्षेत्र के लिए एक उपक्षेत्रीय योजना तैयार करेगा"।

(ii) उप-क्षेत्रीय योजनाएं (एसआरपी) संबंधित प्रतिभागी राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती हैं/तैयार की जा रही हैं| उपक्षेत्रीय योजनाओं के निर्माण की स्थिति इस प्रकार है:

उप-क्षेत्र	**स्थिति**
एनसीटी - दिल्ली	एमओएचयूए द्वारा यह निर्णय लिया गया कि डीडीए/अन्य एजेंसी एन.सी.आर.पी.बी. अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार उप-क्षेत्रीय योजना बनाने में शामिल हो सकती है, जिसे दिल्ली की उप-क्षेत्रीय योजना के रूप में अपनाने से पहले जीएनसीटीडी और एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। ड्राफ्ट एसआरपी डीडीए द्वारा तैयार किया गया था और 21.09.2020 को एनसीटी दिल्ली सरकार को प्रस्तुत किया गया था। दिल्ली के शहरी विकास विभाग, जीएनसीटी ने सूचित किया है कि दिल्ली के लिए अंतिम एसआरपी-2021 को जीएनसीटीडी के शहरी विकास विभाग की वेबसाइट (www.ud.delhigovt.nic.in) पर अपलोड कर दिया गया है। इसकी सूचना दो दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 23.10.21 को प्रकाशित की गई है।
उत्तर प्रदेश	उ.प्र. सरकार ने उ.प्र. उपक्षेत्रीय योजना-2021 को दिनांक 31.12.2013 को प्रकाशित किया।
राजस्थान	राजस्थान सरकार ने 10.11.2015 अलवर जिला की उपक्षेत्रीय योजना-2021 का अनुमोदन किया।
हरियाणा	हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि उपक्षेत्रीय योजना-2021 को वर्ष 2014 में अंतिम रूप दिया जा चुका है। तथापि, हरियाणा सरकार को एमओईएफ एवं सीसी के साथ कुछ मुद्दों का निराकरण करना है।

9.6 एनसीआर में नए जोड़े गए जिलों की उप-क्षेत्रीय योजनाओं की तैयारी

क्षेत्रीय योजना 2021 की अधिसूचना के बाद जोड़े गए जिलों के लिए उप-क्षेत्रीय योजना (एसआरपी) तैयार करने की स्थिति इस प्रकार है:-

उप-क्षेत्र	स्थिति
राजस्थान	राजस्थान सरकार ने 18.02.2020 को भरतपुर के लिए एसआरपी प्रकाशित किया।
उत्तर प्रदेश	यूपी सरकार द्वारा प्रस्तुत एसआरपी के मसौदे पर 31.08.2021 को आयोजित अपनी 40वीं बैठक में बोर्ड द्वारा विचार किया गया था। यूपी उप-क्षेत्र में नए जिलों के लिए एसआरपी-2021 यूपी सरकार द्वारा 07.01.2022 को प्रकाशित किया गया है।
हरियाणा	एसआरपी के मसौदे पर बोर्ड ने 13.09.2019 को हुई अपनी 38वीं बोर्ड बैठक में कुछ टिप्पणियों के साथ विचार किया।

9.7 आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के साथ वर्ष 2021-22 के लिए समझौता ज्ञापन

एन.सी.आर.पी.बी. ने वर्ष 2021-22 के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, सचिव, एमओएचयूए और श्रीमती अर्चना अग्रवाल, सदस्य सचिव, एन.सी.आर.पी.बी. ने मंत्रालय और एन.सी.आर.पी.बी. के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

9.8 एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 के कार्यान्वयन की निगरानी और मसौदा क्षेत्रीय योजना - 2041 तैयार करना

क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन की निगरानी विभिन्न स्तरों पर की जाती है, जैसे बोर्ड, योजना समिति, परियोजना स्वीकृति और निगरानी समूह (पीएसएमजी), राज्य स्तरीय संचालन समिति विभिन्न बैठकों के माध्यम से। विवरण निम्नानुसार है:

i. बोर्ड की 40वीं बैठक 31.08.2021 को आयोजित की गई
ii. बोर्ड की 41वीं बैठक 12.10.2021 को आयोजित की गई
iii. योजना समिति की 70वीं बैठक 20.09.2021 को आयोजित की गई
iv. पीएसएमजी-I की 60वीं बैठक 15.07.2021 को आयोजित की गई
v. पीएसएमजी-I की 61वीं बैठक 24.03.2022 को आयोजित की गई
vi. सचिव, एमओएचयूए की अध्यक्षता में 06.09.2021 को बैठक आयोजित की गई
vii. सचिव, एमओएचयूए की अध्यक्षता में 24.03.2022 को बैठक आयोजित की गई

9.9 वित्तीय संसाधन

वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड के वित्तीय संसाधन इस प्रकार थे:-

ए) भारत सरकार से बजटीय सहायता

i) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त अंशदान- रु 50 करोड़;

ii) बोर्ड के वेतन और भत्ते और अन्य कार्यालय खर्चों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त राजस्व अनुदान - रु 5.10 करोड़।

बी) आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन

i) आंतरिक उपार्जन अर्थात राज्य सरकारों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण पर अर्जित ब्याज, बैंक जमा पर ब्याज़, आयकर रिफंड पर ब्याज़, आदि नकद आधार पर - 391.42 करोड़ रुपये। (अलेखापरीक्षित)

ii) उधारकर्ताओं अर्थात राज्य सरकारों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा ऋणों की चुकौती (मूलधन) - 601.90 करोड़ रुपये। (अलेखापरीक्षित) राज्य सरकारों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 31.03.2022 तक ऋण के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।

iii) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त अनुदान एवं वास्तविक व्यय निम्नानुसार था:-

(रुपये करोड़ में)

विवरण	शहरी विकास मंत्रालय से अनुदान	वास्तविक व्यय
पूंजी *	50.00	250***
राजस्व **	5.10	

* अनुदानों/बजटीय अंशदान से अधिक पूंजीगत व्यय को ऋण चुकौती और बोर्ड के संचित आंतरिक उपार्जन से पूरा किया गया।

** राजस्व अनुदान से अधिक राजस्व व्यय बोर्ड के आंतरिक उपार्जन से पूरा किया गया था।

*** 31.3.2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित आय और व्यय खाते (अलेखापरीक्षित) के अनुसार। इसमें बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए राज्यों/उनकी एजेंसियों को दिए गए ऋण भी शामिल हैं।

9.10 संसाधन संग्रहण

क) घरेलू पूंजी बाजार - बोर्ड ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान घरेलू पूंजी बाजार से कोई राशि नहीं जुटाई है। 31 मार्च, 2022 तक बांडों के माध्यम से एन.सी.आर.पी.बी. की कुल बकाया उधारी शून्य है।

ख) बहुपक्षीय/द्विपक्षीय वित्तपोषण

i) **एडीबी से ऋण** - एडीबी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और इसके काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों (सीएमए) में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक बहु-किश्त वित्तपोषण सुविधा के रूप में एन.सी.आर.पी.बी. को 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। 17.3.2011 को एडीबी और एन.सी.आर.पी.बी. के बीच 78 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किश्त के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। किश्त-1 ऋण राशि 78 मिलियन अमरीकी डालर में से 18.01 मिलियन अमरीकी डालर को रद्द कर दिया गया है।बोर्ड ने 31.12.2014 की ऋण समाप्ति तिथि तक किश्त 1 के लिए 59.99 मिलियन अमरीकी डालर (352.06 करोड़ रूपये) की संपूर्ण ऋण राशि का पहले ही उपयोग कर लिया। ब्याज की दर 6 महीने के लिबोर + मार्जिन पर आधारित है जैसा कि एडीबी द्वारा निर्धारित अर्धवार्षिक देय प्रासंगिक अवधि की उनकी निधि की लागत के आधार पर किया जा सकता है।मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए 5 वर्ष की मोहलत के साथ चुकौती अवधि 25 वर्ष है।बोर्ड एडीबी को अपने बकाया का नियमित भुगतान करता रहा है। 31 मार्च 2022 को एडीबी का कुल बकाया ऋण 51.20 मिलियन अमेरिकी डॉलर (388.15 करोड़ रूपये) था (विनिमय दर के आधार पर यानी 31.03.2022 को 75.8071/ अमेरिकी डॉलर)।

ii) **केएफडब्ल्यू** - जर्मन एजेंसी से ऋण -राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को जल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी परिवहन क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल योजनाओं के लिए यूरो 100 मिलियन ऋण + यूरो 1 मिलियन अनुदान के समझौतों पर क्रमशः 09.02.2012 और 30.03.2012 को हस्ताक्षर किए गए थे। मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए 5 साल की मोहलत के साथ चुकौती अवधि 15 वर्ष होगी। ऋण निश्चित ब्याज दर @1.83% प्रति वर्ष पर है। बोर्ड ने केएफडब्ल्यू से 100 मिलियन यूरो की प्रतिपूर्ति दिसंबर, 2018 तक प्राप्त कर ली है। बोर्ड केएफडब्ल्यू को अपने बकाया का नियमित भुगतान करता रहा है। 31 मार्च 2022 को केएफडब्ल्यू का कुल बकाया ऋण यूरो 50 मिलियन (423.30 करोड़ रूपये) था (विनिमय दर के आधार पर यानी 31.03.2022 को 84.6599/यूरो)।

9.11 बोर्ड द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं:

i) एन.सी.आर.पी.बी. अधिनियम की धारा 8 (ई) के तहत, बोर्ड व्यापक योजनाओं का चयन और अनुमोदन कर सकता है और ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान कर सकता है।उपरोक्त खंड के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों (सीएमए) के भीतर एजेंसियों द्वारा क्षेत्र के संतुलित विकास को प्राप्त करने के अत्यधिक लक्ष्य के साथ कार्यान्वयन के लिए विभिन्न परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहा है। एन.सी.आर.पी.बी. एनसीआर घटक राज्यों (दिल्ली के एनसीटी सहित), इसके सीएमए और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को परियोजनाओं की अनुमानित लागत के अधिकतम 75% तक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जबकि शेष हिस्सा होना है उनके द्वारा वहन किया गया।

ii) एन.सी.आर.पी.बी. अधिनियम 1985 की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड की शक्तियाँ परियोजना स्वीकृति और निगरानी समूह- I (पीएसएमजी -I) और परियोजना स्वीकृति और निगरानी समूह- II (पीएसएमजी -II) को प्रत्यायोजित की गयी हैं।

iii) सचिव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में पीएसएमजी -I को 20.00 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं और 50.00 लाख रुपये से अधिक की अनुमानित लागत के साथ परामर्श अध्ययन के लिए ऋण स्वीकृत करने का अधिकार है। जबकि, 20.00 करोड़ रुपये तक की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं के लिए और 50.00 लाख रुपये तक की अनुमानित लागत वाले परामर्श अध्ययनों को मंजूरी के लिए सदस्य सचिव, एन.सी.आर.पी.बी. की अध्यक्षता में पीएसएमजी-II में रखा जाना है।

iv) वर्ष 2021-22 के दौरान, पीएसएमजी-I की दो बैठकें 15.07.2021 (60वीं) और 24.03.2022 (61वीं) को आयोजित की गईं, जिसमें 1,052.46 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 3 बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए 779.84 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया ।

v) इसके अलावा, पीएसएमजी-I और/या पीएसएमजी-II के अलावा, परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और तेजी लाने के लिए, वर्ष के दौरान राज्यों और/या उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों और एनसीआर प्रकोष्ठों के साथ निम्नलिखित समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं:-

क्रियान्वयन एजेंसी	**समीक्षा बैठक**
दिल्ली	15.06.2021
उत्तर प्रदेश	16.06.2021
राजस्थान और सीएमए जयपुर	18.06.2021
हरियाणा	21.06.2021
सीएमए ग्वालियर और सीएमए पटियाला	24.06.2021
मूल्यांकन/परीक्षा के तहत नई परियोजनाएं	01.07.2021
सीएमए पटियाला	29.11.2021
राजस्थान (जेडीए और पीएचईडी)	29.11.2021
दिल्ली और उत्तर प्रदेश	06.12.2021
हरियाणा	06.12.2021
सीएमए ग्वालियर और सीएमए हिसार	09.12.2021
राजस्थान (पीडब्ल्यूडी और आरआरवीपीएन)	10.12.2021
हरियाणा (पीडब्ल्यूडी-बी एंड आर और पीएचईडी), राजस्थान (पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी और जेडीए) और उत्तर प्रदेश (जीएनआईडीए)	28.02.2022

vi) बोर्ड ने 32,539 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 368 बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिसमें से 15,893 करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में स्वीकृत की गई है। बोर्ड ने मार्च 2022 तक लगभग 12,815 करोड़ रुपये की ऋण राशि जारी की है।

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रवार एनसीआर परियोजना का सारांश

(रूपये करोड़ मे)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	बोर्ड द्वारा जारी ऋण
भूमि विकास	98	5532.43	2390.95	1449.61
परिवहन	135	13774.45	7387.34	6329.93
सीवरेज	49	2627.93	1757.99	1524.37
जल	52	2984.38	2026.55	1358.21
विद्युत	24	6424.99	1597.76	1484.45
अन्य	4	624.66	388.07	331.83
सामाजिक	6	570.06	344.01	336.45
कुल योग	**368**	**32538.90**	**15892.67**	**12814.85**

9.12 स्वीकृत ऋण के संदर्भ में परियोजनाओं के लिए राज्य-वार और क्षेत्र-वार सारांश चित्र-1 और चित्र-2 में ग्राफिक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

चित्र 1

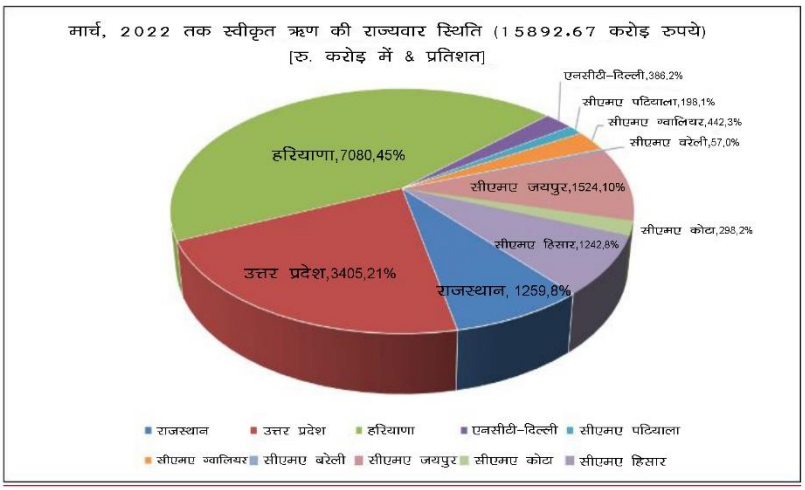

चित्र 2

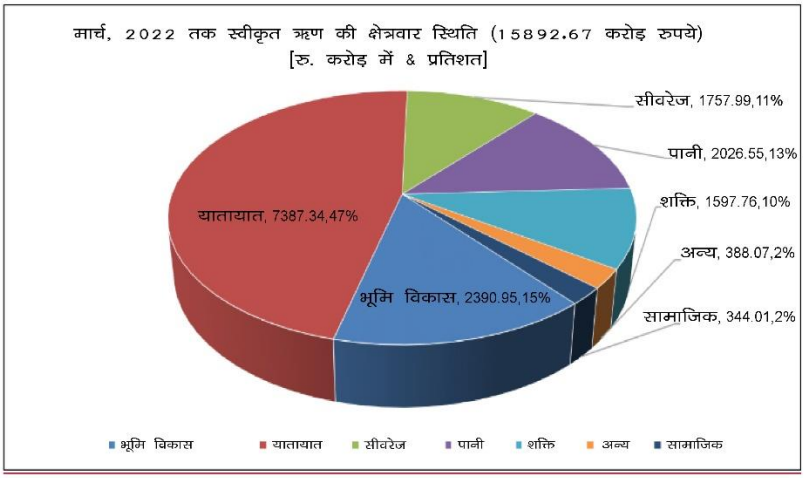

9.13 एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का उप-क्षेत्रवार विवरण (31.03.2022 की स्थिति के अनुसार) पूर्ण और चालू परियोजनाओं सहित निम्नानुसार है:

(रूपये करोड़ मे)

क्रम सं.	उप-क्षेत्र/ सीएमए	स्थिति	परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित/ अंतिम लागत	स्वीकृत ऋण	जारी ऋण
1	राजस्थान	प्रक्रियाधीन	46	1214.49	910.74	779.46
		पूर्ण	28	602.56	348.09	337.94
	उप-योग		**74**	**1817.05**	**1258.83**	**1117.40**
2	उत्तर प्रदेश	प्रक्रियाधीन	3	5807.67	1811.55	1600.16
		पूर्ण	52	2875.52	1593.68	1356.29
	उप-योग		**55**	**8683.19**	**3405.23**	**2956.45**
3	हरियाणा	प्रक्रियाधीन	28	1280.58	899.87	549.83
		पूर्ण	182	10210.82	6180.22	5337.38
	उप-योग		**210**	**11491.40**	**7080.09**	**5887.21**
4	एनसीटी-दिल्ली	प्रक्रियाधीन	1	101.65	76.24	20.00
		पूर्ण	2	520.56	310.00	310.00
	उप-योग		**3**	**622.21**	**386.24**	**330.00**
5	सीएमए पटियाला पंजाब मे	प्रक्रियाधीन	1	208.33	152.52	31.25
		पूर्ण	2	78.71	45.95	45.95
	उप-योग		**3**	**287.04**	**198.47**	**77.20**
6	सीएमए - मध्य प्रदेश मे ग्वालियर	प्रक्रियाधीन	2	474.52	340.89	31.54
		पूर्ण	4	133.65	101.24	101.24
	उप-योग		**6**	**608.17**	**442.13**	**132.78**
7	सीएमए - उत्तर प्रदेश मे बरेली	प्रक्रियाधीन	0	0.00	0.00	0.00
		पूर्ण	2	438.68	57.00	57.00
	उप-योग		**2**	**438.68**	**57.00**	**57.00**
8	सीएमए - राजस्थान मे जयपुर	प्रक्रियाधीन	7	2221.09	1515.39	1444.39
		पूर्ण	1	12.00	9.00	9.00
	उप-योग		**8**	**2233.09**	**1524.39**	**1453.39**
9	सीएमए - राजस्थान मे कोटा	प्रक्रियाधीन	0	0.00	0.00	0.00
		पूर्ण	3	1097.48	298.33	270.45
	उप-योग		**3**	**1097.48**	**298.33**	**270.45**
10	सीएमए - हरियाणा मे हिसार	प्रक्रियाधीन	1	946.00	700.00	0.00
		पूर्ण	3	4314.59	541.96	532.97
	उप-योग		**4**	**5260.59**	**1241.96**	**532.97**
	योग	प्रक्रियाधीन	89	12254.33	6407.20	4456.63
		पूर्ण	279	20284.57	9485.47	8358.22
	कुल योग		**368**	**32538.90**	**15892.67**	**12814.85**

बोर्ड द्वारा वित्तपोषित 368 परियोजनाओं में से 279 परियोजनाओं के पूर्ण होने की सूचना दी गई है और 89 अनुलग्नक-9.13 के अनुसार कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। हालांकि, 89 चल रही परियोजनाओं में से, 33 परियोजनाओं को संबंधित राज्य/कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) द्वारा पूर्ण होने की सूचना दी गई है। उनके पूरा होने की घोषणा चल रही है क्योंकि इन परियोजनाओं के सीसी और यूसी की जांच की जा रही है और/या क्रियान्वयन एजेंसी(यों) से कुछ स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा की जा रही है।

200 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सूची

क्रम सं.	परियोजना का नाम	परियोजना का प्रकार	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	जारी ऋण	स्थिति
1	नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो कनेक्शन की परियोजना (29.707 किमी)	परिवहन	एनएमआरसी	जन-16	5503.00	1587.00	1430.00	प्रक्रियाधीन
2	जयपुर शहर, जेडीए में क्षेत्र विकास सहित अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) का कायाकल्प	जल	जेडीए	जन -17	1582.06	1098.00	1059.00	प्रक्रियाधीन
3	जेडीए द्वारा अम्बेडकर सर्कल, जयपुर के पास सोडाला ट्राई-जंक्शन से एलआईसी कार्यालय तक एलिवेटेड रोड का निर्माण	परिवहन	जेडीए	जन -17	225.00	168.75	150.00	प्रक्रियाधीन
4	जीडीए द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सिक्स लेन एलिवेटेड रोड (हिंडन) का विकास	परिवहन	जीडीए	जन -16	1147.60	700.00	700.00	पूर्ण
5	हरियाणा के हिसार जिले में 1200 मेगावाट (2 x 600 मेगावाट) के लिए चरण I के तहत कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना की स्थापना	विद्युत	एचपीपीसीएल	फर-07	4258.65	500.00	500.00	पूर्ण
6	एचएसआईआईडीसी, हरियाणा द्वारा एक्सेस नियंत्रित कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे खंड (मानेसर आरडी 83.320 से पलवल आरडी। 135.650 किमी) का विकास (शेष कार्य)	परिवहन	एचएसआईआईडीसी	जन -16	457.81	343.35	333.96	पूर्ण
7	गुड़गांव-नूह-राजस्थान सीमा (एसएच-13)(किमी 7+200 से 95+890) को फोर लेन, चौड़ा और मजबूत बनाना	परिवहन	पीडब्ल्यू डी (बी&आर), हरियाणा	फर-08	347.97	261.00	261.00	पूर्ण
8	एमसीडी कार्यालय और नागरिक केंद्र, नई दिल्ली का निर्माण	अन्य	एमसीडी	नव-04	410.56	250.00	250.00	पूर्ण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	परियोजना का प्रकार	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	जारी ऋण	स्थिति
9	जिला मेवात, हरियाणा में शिक्षण अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण	सामाजिक	स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा	जून-09	318.91	239.18	239.18	पूर्ण
10	मेवात क्षेत्र के लिए ग्रामीण पेयजल आपूर्ति का विस्तार- चरण- I, हरियाणा, 09 नवंबर में संशोधित	जल	पीएचईडी, हरियाणा	नव-09	300.49	225.36	225.36	पूर्ण
11	यूपीपीसीएल द्वारा मेरठ मंडल के पारेषण एवं वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण	विद्युत	यूपीपीसीएल	मार्च-02	299.89	224.89	140.40	पूर्ण
12	पलवल, मेवात, गुड़गांव और रेवाड़ी जिले में एनएच-71 (एमडीआर 132) तक होडल नूंह पटौदी पटौदा रोड किमी 0 से 96.20 तक 10 मीटर चौड़ा और मजबूत करने की परियोजना।	परिवहन	पीडब्ल्यू डी (बी&आर), हरियाणा	फर-08	239.87	179.90	179.90	पूर्ण
13	कोटा थर्मल पावर स्टेशन (केटीपीएस) विस्तार इकाई 7, चरण V(1x195 मेगावाट) कोयला, आधारित विद्युत परियोजना	विद्युत	आरआरवीपीए नएल	अक्तू-07	880.00	160.00	160.00	पूर्ण
14	मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप चरण- I का विकास	एलडीआई	एचएसआईआई डीसी	जुलाई-99	564.57	134.19	115.00	पूर्ण
15	हरियाणा में एनसीआर जल आपूर्ति चैनल के निर्माण की योजना	जल	पीडब्ल्यू डी (सिंचाई) हरियाणा सरकार	जून-09	322.00	112.70	112.70	पूर्ण

एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा वित्तपोषित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की तस्वीरें

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो कनेक्शन की परियोजना (29.707 किमी) [अनुमानित लागत - ₹5503 करोड़; स्वीकृत ऋण - ₹1587 करोड़]

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो कनेक्शन की परियोजना (29.707 किमी) [अनुमानित लागत - ₹5503 करोड़; स्वीकृत ऋण - ₹1587 करोड़]

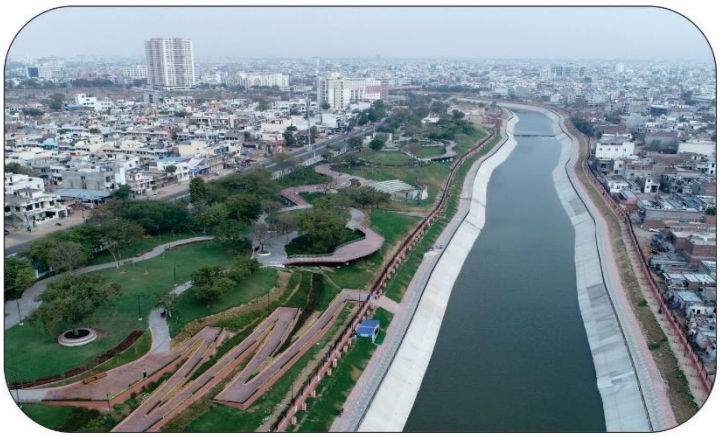

जयपुर शहर, जेडीए में क्षेत्र विकास सहित अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) का कायाकल्प [अनुमानित लागत - ₹1582 करोड़; स्वीकृत ऋण - ₹1098 करोड़।]

एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा वित्तपोषित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की तस्वीरें

कोटा थर्मल पावर स्टेशन (केटीपीएस) का विस्तार यूनिट 7, चरण V(1x195 मेगावाट) कोयला, आधारित बिजली परियोजना [अनुमानित लागत - ₹880 करोड़; स्वीकृत ऋण - ₹160 करोड़।]

जिला मेवात, हरियाणा में शिक्षण अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण [अनुमानित लागत - ₹319 करोड़; स्वीकृत ऋण- ₹239 करोड़।]

हरियाणा के हिसार जिले में 1200 मेगावाट (2x 600 मेगावाट) के लिए चरण I के तहत कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना की स्थापना [अनुमानित लागत - ₹4258 करोड़; स्वीकृत ऋण - ₹500 करोड़।]

`

एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा वित्तपोषित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की तस्वीरें

हरियाणा में एनसीआर जल आपूर्ति चैनल के निर्माण की योजना [अनुमानित लागत - ₹322 करोड़; स्वीकृत ऋण - ₹113 करोड़]

एमसीडी कार्यालय और नागरिक केंद्र, नई दिल्ली का निर्माण [अनुमानित लागत - ₹410.56 करोड़; स्वीकृत ऋण - ₹250 करोड़]

जेडीए द्वारा अंबेडकर सर्कल, जयपुर के पास सोडाला ट्राई-जंक्शन से एलआईसी कार्यालय तक एलिवेटेड रोड का निर्माण [अनुमानित लागत - ₹225 करोड़; स्वीकृत ऋण - ₹169 करोड़।]

एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा वित्तपोषित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की तस्वीरें

जीडीए द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सिक्स लेन एलिवेटेड रोड (हिंडन) का विकास [अनुमानित लागत - ₹1147 करोड़; स्वीकृत ऋण - ₹700 करोड़।]

जीडीए द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सिक्स लेन एलिवेटेड रोड (हिंडन) का विकास [अनुमानित लागत - ₹1147 करोड़; स्वीकृत ऋण - ₹700 करोड़।]

एचएसआईआईडीसी, हरियाणा द्वारा एक्सेस नियंत्रित कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे खंड (मानेसर आरडी 83.320 से पलवल आरडी। 135.650 किमी) का विकास (शेष कार्य) [अनुमानित लागत - ₹458 करोड़; स्वीकृत ऋण - ₹343 करोड़।]

9.14 वर्ष के दौरान वितरित ऋण

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, निम्नलिखित विवरण के अनुसार 12 चालू परियोजनाओं और 01 नई परियोजना के लिए प्रतिभागी राज्यों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को 205.79 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई:

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान क्षेत्रवार ऋण जारी करना

क्षेत्र	रूपये करोड़ मे
सीवरेज	**8.19**
सड़क/आरओबी	**174.87**
विद्युत	**22.73**
कुल	**205.79**

9.15 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान परियोजनावार जारी ऋण

(रूपये करोड़ मे)

क्रम सं	परियोजना का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत	उधारकर्ता एजेंसी	परियोजना का प्रकार	जारी ऋण	जारी करने की तिथि
1	एनसीआर के राजस्थान उप क्षेत्र में नई ट्रांसमिशन परियोजनाएं - अलवर जिले के करोली में सब-स्टेशन और सीकरी (जय श्री) जिला भरतपुर में स्टेशन का निर्माण	31.58	आरआरवीपीएन लिमिटेड	विद्युत	**22.73**	28.04.2021
2	3 आरओबी (प्रस्तावित बाय-पास), रेवाड़ी (14.11.2017 को आयोजित 55वें पीएसएमजी-I में स्वीकृत) सहित रेवाड़ी-नारनौल रोड से रेवाड़ी-झज्जर तक रेवाड़ी दादरी रोड और रेवाड़ी मोहिंदरगढ़ रोड तक लिंक रोड का निर्माण	176.00	पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) हरियाणा सरकार	सड़क	**39.20**	24.08.2021
3	पंचायत भवन/एसबीबीजे बैंक से अंबाबारी टी-जंक्शन, जयपुर तक मौजूदा झोटवाड़ा आरओबी के समानांतर 3 लेन आरओबी का निर्माण	166.73	जयपुर विकास प्राधिकरण	आरओबी	**37.87**	12.11.2021
4	जेडीए द्वारा अम्बेडकर सर्कल, जयपुर के पास सोडाला ट्राई-जंक्शन से एलआईसी कार्यालय तक एलिवेटेड रोड का निर्माण	225.00	जयपुर विकास प्राधिकरण	सड़क	**18.75**	17.11.2021

क्रम सं	परियोजना का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत	उधारकर्ता एजेंसी	परियोजना का प्रकार	जारी ऋण	जारी करने की तिथि
5	अलीपुर-खेड़ी-खानपुर डागरान-पुर-निमलका-कलगांव-हिंगवाहेड़ा-तिजारा-फिरोजपुर-झिरका सड़क का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्य	34.00	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान सरकार	सड़क	**15.30**	23.11.2021
6	सोनीपत जिले में मौजूदा सोनीपत-रथधना नरेला सड़क किमी 2.310 से 14.800 तक का उन्नयन (आईटीआई चौक से साफियाबाद गांव तक सोनीपत जिला सीमा तक), सोनीपत	101.81	पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) हरियाणा सरकार	सड़क	**15.82**	10.12.2021
7	तृतीयक उपचार के साथ मौजूदा एसटीपी का संशोधन, एसटीपी सोहना से नूंह ड्रेन में अपशिष्ट निपटान और शेष स्वीकृत कॉलोनियों के लिए सीवरेज सिस्टम बिछाने के साथ-साथ सोहना शहर की नालियों की टेपिंग	13.66	पीएचईडी, हरियाणा	सीवरेज	**3.58**	13.12.2021
8	झज्जर जिले के बेरी में सभी प्रकार से पूर्ण जल स्थिरीकरण तालाब पर आधारित मौजूदा 2 एमएलडी एसटीपी के स्थान पर क्लोरीनीकरण के बाद बेरी शहर की छोड़ी गई अनुमोदित कॉलोनियों में सीवरेज प्रणाली प्रदान करना और एसबीआर तकनीक पर आधारित 2.6 एमएलडी एसटीपी का निर्माण करना	9.28	पीएचईडी, हरियाणा	सीवरेज	**2.44**	14.12.2021

क्रम सं	परियोजना का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत	उधारकर्ता एजेंसी	परियोजना का प्रकार	जारी ऋण	जारी करने की तिथि
9	कलानौर शहर में बचे हुए क्षेत्रों और हाल ही में स्वीकृत कॉलोनियों में सीवरेज योजना और एमबीबीआर तकनीक पर आधारित मौजूदा 3.5 एमएलडी एसटीपी का नवीनीकरण और उसके बाद तृतीयक उपचार और क्लोरीनीकरण, रोहतक जिले के कलानूर शहर	8.26	पीएचईडी, हरियाणा	सीवरेज	**2.17**	15.12.2021
10	रेवाड़ी जिले (ओडीआर वीटी) (आईडी 1606) में मौजूदा कुंडखोल मंडोला सड़क को 0.00 किमी से 18.82 तक चौड़ा करने (5.50 मीटर से 7 मीटर) प्रदान करके सुधार।	42.20	पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) हरियाणा सरकार	सड़क	**25.32**	17.03.2022
11	पलवल जिले में पलवल हसनपुर (रसूलपुर) रोड पर मुंबई दिल्ली रेलवे लाइन के एलसी नंबर 564 पर 2 लेन आरओबी	44.70	पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) हरियाणा सरकार	आरओबी	**10.96**	22.03.2022
12	पलवल जिले में पलवल बमनी खेड़ा हसनपुर रोड पर मुंबई दिल्ली रेलवे लाइन के एलसी नंबर 561 पर 2 लेन आरओबी का निर्माण	48.12	पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) हरियाणा सरकार	आरओबी	**2.08**	22.03.2022
13	नूंह जिले में किमी 0.00 से 9.83 तक पुन्हाना सिकरावा रोड पर पुनर्निर्माण के साथ चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण (आईडी 1288)	31.90	पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) हरियाणा सरकार	सड़क	**9.57**	30.03.2022
	कुल	**933.23**			**205.79**	

एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा वित्तपोषित हाल की परियोजनाएं

परियोजना का नाम - गोठ की चौकी से बिगोटा रोड किमी 0/00 से 21/00 (वीआर) का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य - अनुमानित लागत ₹14.87 करोड़ और ऋण स्वीकृत ₹11.15 करोड़।

परियोजना का नाम - पल्ला (ग्रेटर नोएडा) में 210 एमएलडी जल उपचार संयंत्र - अनुमानित लागत ₹121.48 करोड़। और ऋण स्वीकृत ₹87.16 करोड़।

परियोजना का नाम - नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो कनेक्शन (29.707 किमी) - अनुमानित लागत ₹5503 करोड़ और ऋण स्वीकृत ₹1587 करोड़

परियोजना का नाम - नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो कनेक्शन (29.707 किमी) - अनुमानित लागत ₹5503 करोड़ और ऋण स्वीकृत ₹1587 करोड़

9.16 जल सुरक्षित एनसीआर पर कार्यशाला - आजादी का अमृत महोत्सव

प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने और मनाने के लिए भारत सरकार की पहल 'आजादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में, एनसीआर योजना बोर्ड द्वारा 21.01.2022 को 'वाटर सिक्योर एनसीआर' पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में केंद्र और राज्य सरकारों सहित प्रतिष्ठित पेशेवरों, विषय विशेषज्ञों, हितधारकों, विभिन्न संबंधित विभागों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यशाला में प्रतिभागियों की कुल संख्या 152 थी।

'**Smt. Keshni Anand Arora**,
Chairperson, Haryana Water Resources Authority.

Ms. Archana Agrawal,
Member Secretary, NCRPB

Ms**. D Thara,**

Additional Secretary (Amrut) & (L&E),
M/o H&UA

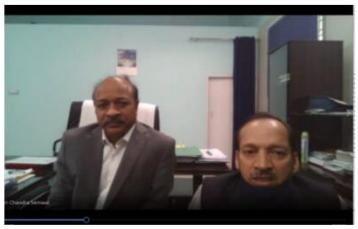

Shri **Harish Chandra Semwal,** Secretary, Deptt. of Irrigation, Govt. of Uttarakhand; **Shri Mukash Mohan,** Head of Department, Deptt. of Irrigation, Govt. of Uttarakhand

Prof. Dr. PSN Rao,
Director, SPA, Delhi,

Shri Ajay Gupta,
Member Drainage, Delhi Jal Board

9.17 लेखाओं की लेखापरीक्षा - 2020-21 के लिए बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे, सीएण्डएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ, एमओएचयूए द्वारा संसद के दोनों सदनों (राज्य सभा 28.03.2022 और लोकसभा 31.03.2022 को) के पटल पर रखे गए हैं।

9.18 लेखापरीक्षा अवलोकन- वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, लोक लेखा समिति ने सी एंड एजी की रिपोर्ट संख्या 3, 2020 पैरा 4.1 "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की कार्यप्रणाली" को परीक्षा के लिए चुना है। इस संबंध में एन.सी.आर.पी.बी. के कामकाज पर पृष्ठभूमि नोट, सीएण्डएजी टिप्पणियों के संबंध में विभागीय स्थिति के साथ बोर्ड द्वारा मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है (लेखा परीक्षा अवलोकन और विभागीय स्थिति का सारांश अनुलग्नक-9.18 पर है)। लोक लेखा समिति (पीएसी) ने 10.02.2022 को इस मामले में मौखिक साक्ष्य मांगा। इसके अलावा, बैठक में पीएसी ने एन.सी.आर.पी.बी. के कामकाज पर सवाल (33) उठाए जिनका जवाब दिया गया है।

9.19 सतर्कता

क) श्री पी.सी. धस्माना, निदेशक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड में अंशकालिक सी.वी.ओ. के रूप में नामित किया गया है। सतर्कता संबंधी सभी मामलों और मुद्दों को अंशकालिक सी.वी.ओ. द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अधिदेशित ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सतर्कता प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट www.ncrpb.nic.in पर बोर्ड के अधिदेश और कार्य, ऋण सहायता-प्राप्त करने के इच्छुक उधारकर्ताओं हेतु दिशा निर्देश समेत इस संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अपलोड किया जाता है। इस वेबसाइट पर अधिनियमों, नियमों और विनियमों तथा प्रमुख विशेषताओं समेत क्षेत्रीय योजनाओं संबंधी ब्रोशर, विभिन्न योजनाओं की स्थिति, ऋण सहायता-प्राप्त करने के इच्छुक उधारकर्ताओं हेतु व्यापक दिशानिर्देश, ऋण संबंधी शर्तें, लागू ब्याज दरें और उपलब्ध छूट, परियोजनाओं की स्थिति, वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखे भी उपलब्ध हैं। इस पर उधारकर्ता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फार्मों, जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है, टेंडरों/आरएफपी आदि के लिए निर्धारित क्षेत्र सहित पूर्ण ऋण दस्तावेजों संबंधी सूचना उपलब्ध है। अन्य अनिवार्य सूचना के अतिरिक्त वेबसाइट पर रिक्त पदों के विज्ञापन, भर्ती के लिए पात्रता-मानदंडों के साथ-साथ भावी उम्मीदवारों द्वारा अपेक्षित अन्य अनिवार्य सूचनाओं को भी दर्शाया जाता है।

ग) 25 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया, जिसका विषय था **"Independent India @ 75 Self Reliance with Integrity; स्वतंत्र भारत @ 75 सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता".**

एन.सी.आर.पी.बी. कार्यालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की गईं:-

- सभी कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ ली गई।
- बोर्ड कार्यालय में बैनर, पोस्टर आदि प्रदर्शित किए गए।
- बड़े पैमाने पर हाउसकीपिंग गतिविधियों का आयोजन किया गया।
- "पीआईडीपीआई (जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा) के तहत शिकायतें" के बारे में बैनर / पोस्टर प्रदर्शित किए गए थे।

9.20 **आरक्षण नीति** - बोर्ड एससी / एसटी / ओबीसी / पीडब्ल्यूडी (विकलांग व्यक्तियों) / पूर्व सैनिकों / आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए सेवाओं में आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों और दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन करता है। निर्देशों के अनुसार रोस्टरों का रखरखाव किया जाता है और उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड के संपर्क अधिकारी के साथ-साथ आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के संपर्क अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए बोर्ड में शिकायत/शिकायत रजिस्टर भी बनाए रखा जाता है और प्राप्त अभ्यावेदन/शिकायतों को तुरंत निपटाने का प्रयास किया जाता है।

9.21 **सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) -** बोर्ड ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवश्यक आरटीआई से संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक विस्तृत तंत्र स्थापित किया है। विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://ncrpb.nic.in पर नियमित रूप से अपडेट की जाती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और सहायक जन सूचना अधिकारी (एपीआईओ) का विवरण शामिल होता है। बोर्ड ने भारत सरकार के डीओपीटी के ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल पर पंजीकरण किया है, और पोर्टल के माध्यम से प्राप्त सभी आवेदनों / अपीलों को पोर्टल के माध्यम से ही नियंत्रित किया जाता है। त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्ट केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट www.cic.gov.in पर निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत की जाती है। वर्ष के दौरान, 96 आवेदन और 09 प्रथम अपील प्राप्त हुई और निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटा दी गई। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के समक्ष 02 द्वितीय अपीलें दायर की गईं और माननीय आयोग ने दोनो अपील का बिना किसी दंड/अनुशासनात्मक कार्रवाई के निपटारा किया ।

9.22 **पीओएसएच अधिनियम 2013 का अनुपालन -** कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को बोर्ड में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने और उनके निवारण के स्पष्ट उद्देश्य के साथ लागू किया गया है। यौन उत्पीड़न की शिकायतें। बोर्ड में यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए एक वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी द्वारा बोर्ड कार्यालय में आंतरिक समितियों का गठन किया गया है।

9.23 एन.सी.आर.पी.बी. में राजभाषा को प्रोत्साहन

सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान राजभाषा की चार बैठकें आयोजित की गईं, प्रत्येक तिमाही में एक। कर्मचारियों को हिंदी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग में प्रशिक्षित करने और उनके काम को हिंदी में सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, 4 हिंदी कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया।

सितंबर, 2021 में 'हिंदी पखावाड़ा' का आयोजन किया गया। कोविड-19 के कारण कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। साल भर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। अप्रैल से जून 2021 में क्वार्टर 2 प्रतियोगिताएं, हिंदी अनुवाद और मुहावरा ज्ञान का आयोजन किया गया, जुलाई से सितंबर तिमाही में हिंदी टाइपिंग और शब्द-अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और मार्च, 2022 में चित्र वर्णन का आयोजन किया गया। बोर्ड के अधिकारियों और अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं और पुरस्कारों का वितरण किया गया।

9.24 कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के खिलाफ लड़ाई पर की गई कार्रवाई

एन.सी.आर.पी.बी. ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों / प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी कोविड -19 उपयुक्त व्यवहार का पालन किया। कोविड-19 से लड़ने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:-

- कार्यालय में कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइजर मशीन की स्थापना
- बिना मास्क के कार्यालय में आने की अनुमति नही
- ऑनलाइन बैठकें
- एएचयू इकाइयों और एसी डक्ट की सफाई
- साप्ताहिक आधार पर कार्यालय परिसर की सफाई
- डीओपीटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यालय में उपस्थिति का अनुपालन
- कार्यालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए अलग-अलग समय

9.25 एन.सी.आर.पी.बी. में स्वच्छता अभियान: भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप, एन.सी.पी.पी.बी. के कार्यालय में 2 अक्टूबर, 2021 से 31 अक्टूबर, 2021 की अवधि के दौरान लंबित मामलों के निपटान के लिए एक विशेष अभियान का आयोजन किया गया। अभियान के दौरान, लोक शिकायत के प्रभावी निपटान के लिए एक विशेष अभियान, संसद सदस्यों और राज्य सरकारों के संदर्भ, अंतर-मंत्रालयी परामर्श, संसदीय संदर्भ आदि। एनसीआर योजना बोर्ड ने साफ-सफाई, काम का अच्छा माहौल, फाइलों की छंटाई, पुराने फर्नीचर, कबाड़ सामग्री आदि को सुनिश्चित करने के लिए भी अभियान शुरू किया है। 4717 से अधिक फाइलों की समीक्षा की गई और 1613 फाइलों को हटा दिया गया। 300 वर्ग फुट से अधिक कार्यालय स्थान को पुरानी और कबाड़ सामग्री से मुक्त किया गया। ई-कचरा और अन्य स्क्रैप सामग्री के निपटान के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

9.26 GeM (सरकारी ई-मार्केट प्लेस) के माध्यम से खरीद

सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, अधिकांश मामलों में, बोर्ड जो सामान और सेवाएं GeM पर उपलब्ध हैं वह GeM के माध्यम से ही खरीद रहा है।

अनुलग्नक -9.2.2

एनसीआर में अंतर्राज्यिक कनेक्टिविटी सड़कें/संयोजन (लिंकेज)

1. आश्रम चौक, दिल्ली से कालिंदी बाय-पास सड़क से फरीदाबाद बाय-पास।
2. कालिंदी कुंज-नोएडा (120 मीटर अनुप्रवाह) के पास यमुना नदी पर दूसरे पुल का निर्माण (अब पूरा हो चुका है); और नोएडा में चिल्ला रेगुलेटर (मयूर विहार के पास), सेक्टर-14ए से एमपी-3 रोड (महामाया फ्लाईओवर) तक शाहदरा नाला संरेखण (ड्रेन-एलाइनमेंट) के साथ एलिवेटेड रोड (कार्य आरंभ हो चुका है)।
3. गुड़गांव को जोड़ने वाली क्षेत्रीय योजना के-II में 80 मीटर द्वारका लिंक (30 मीटर चौड़ी हरित पट्टी के साथ 150 मीटर की चौड़ाई लिए हुए एनपीआर से गुज़रते हुए) (कार्य आरंभ हो चुका है)|
4. तिलोरी गाँव, फरीदाबाद के साथ सेक्टर 149-ए और 150 नोएडा को जोड़ने वाला पुल|
5. सेक्टर 168 और 167-ए, नोएडा को लालपुर गांव, फरीदाबाद से जोड़ने वाला पुल|
6. छपरौली और हाथवाड़ा (ग्राम पानीपत, हरियाणा) के बीच यमुना पर पुल (कार्य आरंभ हो चुका है)|
7. गुड़गांव क्षेत्र को नजफगढ़ रोड से जोड़ने वाली 75 मीटर चौड़ी सड़क लिंक
8. उत्तर प्रदेश मे यूईआर-I, दिल्ली से खेकड़ा सिटी रा.रा.-57 तक और यूईआर-II, दिल्ली से ट्रॉनिका सिटी रा.रा.-57 तक|
9. एसएच 18, तक बवाना औचंदी मार्ग विस्तार (कार्य पूरा हो चुका है)|
10. एजुकेशन सिटी, कुंडली से 60 मीटर चौड़ी सड़क को दिल्ली से जोड़ने और जोन पी-II के जोनल प्लान में शामिल करने की आवश्यकता है|
11. महरौली-गुड़गांव रोड को रा.रा.-236 के रूप में विकसित किया जाना है|
12. रिंग रोड (इंदर लोक मेट्रो स्टेशन) एवं मौजूदा यमुना नहर लिंक रोड से हरियाणा की सीमा तक सड़क|
13. दिल्ली रिज से गुजरती हुई नेल्सन मंडेला टी-पॉइंट (वसंत कुंज फ्लाईओवर के पास) को जोड़ने वाली मौजूदा गुड़गांव-महरौली सड़क।
14. ग्वाल पहाड़ी मंडी गदईपुर-जौनपुर सड़क का अंधेरिया मोड़, दिल्ली तक उन्नयन करना

अनुलग्नक -9.13

एन.सी.आर.पी.बी. से ऋण सहायता के साथ चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सूची (31 मार्च, 2022 तक)

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	परियोजनाओं का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	भौतिक प्रगति (%) जैसा कि आईए(एस) द्वारा रिपोर्ट किया गया	वास्तविक जारी ऋण
	हरियाणा उप क्षेत्र						
	परिवहन क्षेत्र परियोजना						
1	दिल्ली अंबाला रेलवे लाइन एल/सी नंबर 29 पर चीनी मिल के पास सोनीपत पुरखास रोड पर टू लेन आरओबी	पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हरियाणा	दिस-12	40.37	16.42	100	13.21
2	रोहतक जिले में दक्षिणी बाय पास पर एनएच-10 से एनएच-71 तक सड़क का निर्माण	पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हरियाणा	दिस-13 / मई-15	27.66	20.75	100	16.30
3	रोहतक जिले में दिल्ली भटिंडा रेलवे लाइन पर एल/सी 79 पर लखनमाजरा महम रोड पर 4 लेन आरओबी का निर्माण	पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हरियाणा	जन-16	56.04	23.15	99	19.26
4	**पलवल** जिले में पलवल हसनपुर (रसूलपुर) रोड पर मुंबई दिल्ली रेलवे लाइन के एलसी नंबर 564 पर 2 लेन आरओबी	पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हरियाणा	नव-17	47.78	23.41	65	23.41
5	**पलवल** जिले में पलवल बमनी खेरा हसनपुर रोड पर मुंबई दिल्ली रेलवे लाइन के एलसी नंबर 561 पर 2 लेन आरओबी	पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हरियाणा	नव-17	48.88	22.06	61	22.06
6	सोनीपत जिले में मौजूदा सोनीपत-रथधना नरेला सड़क किमी 2.310 से 14.800 तक का उन्नयन (आईटीआई चौक से साफियाबाद गांव तक सोनीपत जिला सीमा तक), **सोनीपत**	पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हरियाणा	नव-17	101.81	76.36	84	76.36
7	रेवाड़ी-नारनौल मार्ग से रेवाड़ी झज्जर होते हुए रेवाड़ी दादरी मार्ग एवं रेवाड़ी मोहिंदरगढ़ मार्ग से 3 आरओबी (प्रस्तावित बाय-पास), **रेवाड़ी** तक लिंक रोड का निर्माण	पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हरियाणा	नव-17	176.00	132.00	80	132.00
8	सोनीपत जिले में पड़ने वाली पश्चिमी यमुना नहर (डब्ल्यूवाईसी) के किनारे हरेवेली गांव के पास घोगरीपुर से हरियाणा-दिल्ली सीमा तक 2 लेन रिलीफ रोड का निर्माण	पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हरियाणा	जून-19	200.00	150.00	16	75.00

क्रम सं.	परियोजनाओं का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	भौतिक प्रगति (%) जैसा कि आईए(एस) द्वारा रिपोर्ट किया गया	वास्तविक जारी ऋण
9	नूंह जिले में टौरू सराय रोड को कोटा खांडेवाला तक किमी 0.00 से 12.20 तक चौड़ा और मजबूत करना	पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हरियाणा	मार्च-20	32.51	24.38	45	14.63
10	नूंह जिले में 0.00 किमी से 9.83 किमी तक पुन्हाना शिकरावा सड़क के पुनर्निर्माण के साथ चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हरियाणा	मार्च-20	31.90	23.92	72	23.92
11	नूंह जिले में 000 किमी से 11.30 किमी तक पुन्हाना कोट रोड पर पुनर्निर्माण के साथ चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हरियाणा	मार्च-20	42.88	32.16	30	19.30
12	पलवल और नूंह जिले में पलवल हथीन उटावर सड़क (एमडीआर-135) को 4 लेन/उठाने/सीसी फुटपाथ/मजबूती से सुधार (लंबाई 22.400 किमी)	पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हरियाणा	मार्च-20	73.81	55.36	टेंडर प्रक्रिया के अधीन	22.14
13	फरीदाबाद जिले में बल्लभगढ़ छैंसा मोहना रोड पर किमी 3.00 (बाई पास रोड) से 14.96 किमी (केजीपी पर इंटरचेंज) तक विभाजित कैरिजवे प्रदान करके केजीपी एक्सप्रेसवे के साथ फरीदाबाद शहर की कनेक्टिविटी में सुधार	पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हरियाणा	मार्च -20	73.06	54.79	कार्य सौंप दिया गया है, शीघ्र प्रारम्भ होने वाला है	21.91
14	सोनीपत से गनौर सड़क को कामी (0.00 से 13.600 किमी) के माध्यम से जीटी रोड (एनएच -44) से लालेहरी-लासौली (किमी 0.00 से 4.63) के लिंक के साथ मौजूदा सड़क को चौड़ा और मजबूत करके उन्नयन।	पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हरियाणा	28-सित-20	22.46	16.84	कार्य सौंप दिया गया है, शीघ्र प्रारम्भ होने वाला है	3.00
15	रेवाड़ी जिले में मौजूदा रेवाड़ी-शाहजहांपुर सड़क (एसएच-15) (आईडी 1447) को चौड़ा करने (7 मीटर से 10 मीटर) किमी 6.42 से 22.42 तक और 22.42 से 26.62 तक सुदृढ़ीकरण प्रदान करके सुधार (आईडी 1447)	पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हरियाणा	28-सित-20	42.14	31.61	5	5.61
16	4-लेनिंग के माध्यम से सुधार (i) रेवाड़ी जिले में किमी 1.60 से 10.91 तक मौजूदा रेवाड़ी बावल सड़क का सीसीपी (ओडीआर वीटी) (आईडी 9957) (ii) रेवाड़ी जिले (ओडीआर वीटी) (आईडी 1449) में किमी 11 से 12.75 तक मौजूदा रेवाड़ी बावल सड़क का सीसीपी	पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हरियाणा	28-सित-20	42.51	31.88	कार्य 16.03.2022 को सौंपा गया है	5.88

क्रम सं.	परियोजनाओं का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	भौतिक प्रगति (%) जैसा कि आईए(एस) द्वारा रिपोर्ट किया गया	वास्तविक जारी ऋण
17	रेवाड़ी जिले में मौजूदा कुंड खोल मंडोला सड़क को 0.00 किमी से 18.82 तक चौड़ा करने (5.50 मीटर से 7 मीटर) और सुदृढ़ीकरण प्रदान करके सुधार (आईडी 1606)	पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हरियाणा	28-सित-20	42.20	31.65	50	31.65
18	सानोली पानीपत रोड का सुधार (आरडी 7.200 से 18.310 तक (जीटी रोड एनएच-44) बचा हुआ हिस्सा जो पानीपत जिले में (एनएच -709 ईस्वी) के तहत कवर नहीं है।	पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हरियाणा	24-मार्च -22	75.75	56.81	पीएसएमजी-I बैठक दिनांक 24.03.2022 में स्वीकृत कार्य	
19	पानीपत जिले में पानीपत (जीटी रोड एनएच-44) से डाहर तक एनएच-709 (सेक्शन आरडी 3.00 से 6.700) तक चार लेन का सुधार	पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हरियाणा	24-मार्च-22	30.71	23.03	पीएसएमजी-I बैठक दिनांक 24.03.2022 में स्वीकृत कार्य	
				1208.47	**846.58**		**525.64**
	सीवरेज क्षेत्र की परियोजनाएं						
20	सोनीपत जिले के **गनौर** शहर में तृतीयक उपचार और क्लोरीनीकरण के बाद एमबीबीआर तकनीक पर आधारित मौजूदा 7 एमएलडी एसटीपी का नवीनीकरण	पीएचईडी हरियाणा	नव-17	5.64	4.08	5	1.23
21	सोनीपत जिले के खरखोदा कस्बे में एमबीबीआर तकनीक पर आधारित मौजूदा 4.5 एमएलडी एसटीपी का नवीनीकरण और उसके बाद तृतीयक उपचार और क्लोरीनीकरण	पीएचईडी हरियाणा	नव-17	4.54	3.26	5	0.98
22	पानीपत जिले के **समालखा** शहर में एमबीबीआर तकनीक पर आधारित मौजूदा 5 एमएलडी एसटीपी का उन्नयन और नवीनीकरण और उसके बाद तृतीयक उपचार	पीएचईडी हरियाणा	नव-17	7.14	5.19	0	1.56
23	मौजूदा 5.5 एमएलडी एसटीपी और 5 एमएलडी एसटीपी (एमबीबीआर प्रौद्योगिकी) का उन्नयन, कोसली रोड और सांपला रोड पर तृतीयक उपचार और क्लोरीनीकरण के साथ-साथ कुछ शेष पाइपलाइन बिछाने, **झज्जर** टाउन	पीएचईडी हरियाणा	नव-17	11.00	7.91	एसटीपी का उन्नयन - 0% सीवर डालना - 100%	2.37
24	पलवल जिले के **होडल** कस्बे में एनजीटी दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए छूटी हुई कॉलोनियों और नई स्वीकृत कॉलोनियों में सीवरेज नेटवर्क और नालियां बनाना	पीएचईडी हरियाणा	नव-17	4.66	3.50	100	1.05

क्रम सं.	परियोजनाओं का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	भौतिक प्रगति (%) जैसा कि आईए(एस) द्वारा रिपोर्ट किया गया	वास्तविक जारी ऋण
25	**कलानूर** शहर, रोहतक जिले में छूटी हुई कॉलोनियों और हाल ही में स्वीकृत कॉलोनियों में सीवरेज योजना और एमबीबीआर तकनीक पर आधारित मौजूदा 3.5 एमएलडी एसटीपी का नवीनीकरण और उसके बाद तृतीयक उपचार और क्लोरीनीकरण।	पीएचईडी हरियाणा	नव-17	8.26	6.19	एसटीपी का उन्नयन - 60% सीवर डालना - 100%	4.03
26	**सांपला** शहर में बचे हुए क्षेत्रों और हाल ही में स्वीकृत कॉलोनियों में सीवरेज योजना और रोहतक जिले के सांपला शहर में तृतीयक उपचार के बाद एमबीबीआर तकनीक पर आधारित मौजूदा 4 एमएलडी एसटीपी का उन्नयन और नवीनीकरण	पीएचईडी हरियाणा	नव-17	7.93	5.95	एसटीपी का उन्नयन - 60% सीवर डालना - 100%	1.78
27	तृतीयक उपचार के साथ मौजूदा एसटीपी का संशोधन, एसटीपी **सोहना** से नूंह ड्रेन में अपशिष्ट निपटान और शेष स्वीकृत कॉलोनियों के लिए सीवरेज सिस्टम बिछाने के साथ-साथ सोहना शहर की नालियों की टेपिंग	पीएचईडी हरियाणा	नव-17	13.66	10.25	एसटीपी का उन्नयन - 0% सीवर डालना - 99%	6.66
28	झज्जर जिले के **बेरी** में सभी प्रकार से पूर्ण जल स्थिरीकरण तालाब पर आधारित मौजूदा 2 एमएलडी एसटीपी के स्थान पर क्लोरीनीकरण के बाद बेरी शहर की छोड़ी गई अनुमोदित कॉलोनियों में सीवरेज प्रणाली प्रदान करना और एसबीआर तकनीक पर आधारित 2.6 एमएलडी एसटीपी का निर्माण करना	पीएचईडी हरियाणा	नव-17	9.28	6.96	एसटीपी का उन्नयन - 100% सीवर डालना - 100%	4.53
				72.11	**53.29**		**24.19**
	हरियाणा उप योग			**1280.58**	**899.87**		**549.83**
	उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र						
	परिवहन क्षेत्र परियोजना						
29	नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो कनेक्शन की परियोजना (29.707 किमी)	एनएम आरसी	जन-16	5503.00	1587.00	98	1430.00
				5503.00	**1587.00**		**1430.00**

क्रम सं.	परियोजनाओं का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	भौतिक प्रगति (%) जैसा कि आईए(एस) द्वारा रिपोर्ट किया गया	वास्तविक जारी ऋण
	जल क्षेत्र परियोजना						
30	देहरा (गाजियाबाद) में सेवन से पल्ला (ग्रेटर नोएडा) में डब्ल्यूटीपी साइट तक कच्चा जल परिवहन मुख्य डब्ल्यूटीपी साइट से मास्टर जलाशय तक साफ पानी का मेन	जीएनआईडीए	08-08-2013/'54वीं पीएसएमजी-I बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पुरस्कार की तारीख को परियोज ना के शुरू होने की तारीख यानी फरवरी-16 के रूप में माना जाए।	183.19	137.39	100	83.00
31	देहरा (गाजियाबाद) में प्राथमिक उपचार कार्य, पल्ला (ग्रेटर नोएडा) में 210 एमएलडी जल उपचार संयंत्र और संबद्ध कार्य	जीएनआईडीए	08-08-2013/'54वीं पीएसएमजी-I बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पुरस्कार की तारीख को परियोजना के शुरू होने की तारीख यानी फरवरी-16 के रूप में माना जाए।	121.48	87.16	100	87.16
				304.67	**224.55**		**170.16**
	उ.प्र. उप-योग			**5807.67**	**1811.55**		**1600.16**
	राजस्थान उप-क्षेत्र						
	जल क्षेत्र						
32	अलवर जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	पीएचईडी, राजस्थान	10-10-13	174.86	131.14	98	94.72
33	तिजारा जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	पीएचईडी, राजस्थान	10-10-13	16.46	12.35	80	9.19
34	राजगढ़ जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	पीएचईडी, राजस्थान	10-10-13	20.24	15.18	95	10.96
35	बहरोड़ जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	पीएचईडी, राजस्थान	10-10-13	26.02	19.51	61	14.49
36	भिवाड़ी जलापूर्ति सुधार परियोजना	पीएचईडी, राजस्थान	10-10-13	40.69	30.52	75	30.52
37	पीएचईडी, राजस्थान से शहरी जलापूर्ति योजना खैरथल, जिला अलवर का पुनर्गठन	पीएचईडी, राजस्थान	14-11-17	36.26	27.19	2	14.00
				314.53	**235.89**		**173.88**

क्रम सं.	परियोजनाओं का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	भौतिक प्रगति (%) जैसा कि आईए(एस) द्वारा रिपोर्ट किया गया	वास्तविक जारी ऋण
	परिवहन क्षेत्र						
38	बड़ौद से शाहजहांपुर रोड पर गांव के हिस्से में सीसी 0/0 से 9/900, 10/750 से 14/600 और 15/400 से 16/400 (एमडीआर-206) में उन्नयन सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	22.78	17.08	83	15.37
39	राष्ट्रीय राजमार्ग-8 से पहाड़ी किलोमीटर 0/0 से 11/100 तक उन्नयन सुदृढ़ीकरण एवं विकास पुनर्निर्माण कार्य)	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	15.44	11.58	52	10.42
40	बहरोड़ से भुमारिका रोड किमी 0/0 से 12/0 तक उन्नयन सुदृढ़ीकरण एवं विकास एवं पुनर्निर्माण कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	13.51	10.13	47	9.12
41	हरसोली-रामनगर-मिर्का-बस्करीपालनगर-किशनगढ़बास-मोथुका-थानागौड़ा-मुबारिकपुर सड़क का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	56.48	42.36	100	38.13
42	तातारपुर चौराहा-श्योपुर खानपुर अहीर जाट भगोला अलीपुर रोड किमी 0/0 से 36/500 तक उन्नयन सुदृढ़ीकरण एवं विकास एवं पुनर्निर्माण कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	49.30	36.97	100	33.27
43	पदिसल-जगता बसई-रत्ता खुर्द-बालनबसई-श्यामका-इस्माइलपुर गंज-किशनगढ़बास रोड	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	25.68	19.26	100	17.34
44	प्रतापगढ़-अजबगढ़-बुर्जा तिरया रोड किलोमीटर 0/0 से 25/0 (एसएच-77) का विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	34.59	25.94	100	23.34
45	सड़क का उन्नयन (3.75 मीटर से 7.00 मीटर कैरिजवे) अलवर से मदनपुरी भजीत नंगला चरण के माध्यम से हलदीना में मत्स्य विश्वविद्यालय तक	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	17.62	13.21	100	11.88
46	अलवर शहर में विभिन्न सड़कों पर उन्नयन सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	34.60	25.95	100	23.36
47	0/0 से 7/0 (गोविंदगढ़ से शिमला खुर्द) तक 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण और उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	8.45	6.33	100	5.70
48	0/0 से 12/0 तक 3.75 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण और उन्नयन (बड़ौदामियो गंडुरा लक्ष्मणगढ़)	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	15.88	11.91	100	10.72

क्रम सं.	परियोजनाओं का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	भौतिक प्रगति (%) जैसा कि आईए(एस) द्वारा रिपोर्ट किया गया	वास्तविक जारी ऋण
49	विजय मंदिर अलवर से घाटला-पड़िसल एवं खैरथल मार्ग से हरसोली मार्ग का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्य।	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	42.42	31.81	98	28.63
50	दौसा तेहला सरिस्का रोड एसएच-29ए पर किमी 8/00 से 38/00 तक 5.50 मी से 7 मी तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ा करना	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	18.31	13.73	100	12.36
51	दौसा-कुंडल-गुढ़ा कतला बांदीकुई-बालाहेरी-मंडावर-घोरसराना-कठूमार रोड किमी 74/00 से 102/00 एसएच-78 (पुराना एमडीआर-48) का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	31.42	23.56	100	21.20
52	तेहला मचरी रोड एसएच 25 ए किमी 0/0 से 23/500 पर मौजूदा पुलिया का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	8.12	6.09	100	5.48
53	तेहला राजगढ़ गढ़ी सवाईराम रोड एसएच-25ए पर 26/300 के 3.0 मीटर से 7.0 मीटर और 32/400 किमी 0/0 से 7.0 मीटर तक को 5.50 मीटर से 7.0 मीटर तक चौड़ा और चौड़ा करना	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	10.61	7.95	100	7.16
54	रोहड़ा से बारा_भडकोल वाया रेनी-मचारी रोड किमी 76/0 से 90/0 (एमडीआर-151) का उन्नयन सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	18.88	14.16	100	12.74
55	गोठ की चौकी बिगोटा रोड किमी ओ/0 से 21/0 का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	14.87	11.15	100	10.04
56	घाट से राजपुर बाड़ा वाया देवती किमी 0/0 से 10/800 का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	14.87	11.15	100	10.04
57	राजगढ़ से करोठ रोड किलोमीटर 0/0 से 3/0 . का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	5.74	4.30	100	3.87
58	सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण एवं उन्नयन 3.0 मीटर से 7.0 मीटर 0/0 से 3/0 (ए/आर से बलदेवगढ़)	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	5.30	3.97	100	3.57
59	0/0 से 2/0 किमी (तिलवाड़ से तिलवाडी) तक 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण और उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	3.54	2.65	100	2.39

क्रम सं.	परियोजनाओं का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	भौतिक प्रगति (%) जैसा कि आईए(एस) द्वारा रिपोर्ट किया गया	वास्तविक जारी ऋण
60	सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण और उन्नयन 3.0 मीटर से 7.0 मीटर किमी 0/0 से 3/500 (एसएच-29 ए से थाना)	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	6.12	4.59	100	4.13
61	सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण और उन्नयन 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक किमी 0/0 से 3/500 (ए/आर से घाटरा)	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	6.17	4.62	100	4.16
62	0/0 से 3/300 किमी (पालपुर से कांकराली रामपुरा) को 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ा और उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	5.84	4.38	100	3.94
63	0/0 से 1/900 किमी (ए/आर से भानगढ़) तक 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण और उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	2.83	2.12	100	1.91
64	0/0 से 2/0 किमी (ए/आर से नारायणी माता मंदिर) को 5.5 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ा और उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	2.83	2.12	100	1.91
65	0/0 से 12/0 किमी (खेरली से उदयपुरा) तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण एवं उन्नयन 5.5 मीटर से 7.0 मीटर तक	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	13.30	9.97	100	8.97
66	0/0 से 12/0 किमी (खेरली से भानोखर) तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण और उन्नयन 5.5 मीटर से 7.0 मीटर तक	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	15.87	11.90	100	10.71
67	एलनपुर-बांसूर-प्रतापगढ़-ढोला ताला सड़क किमी 25/0 से 70/0 (एसएच-52) का विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	69.09	51.81	100	46.62
68	रामगढ़-गोविंदगढ़-सीकरी नगर मार्ग एसएच-45 कि.मी. का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्य। 8/825 से 27/745 (चिदवई-गोविंदगढ़ जिला सीमा खंड तक)	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	29.70	22.27	100	20.04
69	थानागाजी प्रतापगढ़ ढोला ताला सड़क किमी 99/0 से 120/200 . का विकास	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	28.87	21.65	100	19.49
70	नटनी का बड़ा मालाखेड़ा-लक्ष्मणगढ़ कठूमार रोड (कठूमर बाय पास किमी 0/0 से 1/400 सहित) पर उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य 25/0 से 61/0 एसएच-44 (चिमरावली-मौजपुर-लक्ष्मणगढ़-खुड़ियाना बरेदा कठुमर) खंड	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	41.16	30.87	100	27.78

क्रम सं.	परियोजनाओं का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	भौतिक प्रगति (%) जैसा कि आईए(एस) द्वारा रिपोर्ट किया गया	वास्तविक जारी ऋण
71	महुवा-मंडावर-गढ़ी-सवाई राम-लक्ष्मणगढ़-गोविंदगढ़ रोड एसएच-35 किमी 60/000 से 70/0 (लक्ष्मणगढ़-जालुकी-गोविंदगढ़ खंड) का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	14.21	10.65	100	9.59
72	हरसोली-बिबिरानी-कोटकासिम-बुधिबावल-टपुकरा रोड किमी 45/0 से 57/200, 62/900 से 64/500 और 74/0 से 76/200 पर उन्नयन सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	23.99	17.99	100	16.19
73	कोटकासिम लाडपुर-तिजारा फिरोजपुर झिरका जिला सीमा किमी 6/0 से 40/0 का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	48.33	36.24	100	32.61
74	अलीपुर-खेड़ी-खानपुर डागरान-पुर-निमलका-कलगांव-हिंगवाहेड़ा-तिजारा-फिरोजपुर-झिरका सड़क का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	34.00	25.50	40	22.95
75	टपुकारा से मिलकपुर किमी 0/0 से 7/500 तक उन्नयन सुदृढ़ीकरण एवं विकास एवं पुनर्निर्माण कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	13.96	10.47	100	9.42
				824.68	**618.39**		**556.55**
	बिजली क्षेत्र						
76	एनसीआर के राजस्थान उप क्षेत्र में नई ट्रांसमिशन परियोजनाएं-अलवर जिले में 132 केवी जीएसएस बहादुरपुर, टेल्को सर्कल और खैरथल के वित्तपोषण के लिए नया प्रस्ताव	आरआरवीपीएन लिमिटेड	जून-19	43.70	32.78	132 केवी जीएसएस बहादुरपुर-100% 132 केवी जीएसएस टेल्को सर्कल-100% 132 केवी जीएसएस खैरथल-100%	26.30
77	एनसीआर के राजस्थान उप क्षेत्र में नई पारेषण परियोजनाएं - अलवर जिला करोली में उप-स्टेशन का निर्माण और सीकरी (जय श्री) जिला भरतपुर में स्टेशन	आरआरवीपीएन लिमिटेड	28-सित-20	31.58	23.68	132 केवी जीएसएस करोली-100% सीकरी - 3%	22.73
				75.28	**56.46**		**49.03**
	राजस्थान उप योग			**1214.49**	**910.74**		**779.46**

क्रम सं.	परियोजनाओं का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	भौतिक प्रगति (%) जैसा कि आईए(एस) द्वारा रिपोर्ट किया गया	वास्तविक जारी ऋण
	दिल्ली उप क्षेत्र						
	अन्य						
78	ईडीएमसी द्वारा शाहदरा साउथ जोन में कड़कड़डूमा संस्थागत क्षेत्र में बहुमंजिला कार्यालय भवन का निर्माण	ईडीएमसी	दिस-13	101.65	76.24	63	20.00
				101.65	**76.24**		**20.00**
	दिल्ली उप योग			**101.65**	**76.24**		**20.00**
	काउंटर मैग्नेट क्षेत्र						
	सीएमए ग्वालियर						
	भूमि विकास परियोजनाएं						
79	साडा, ग्वालियर में आवासीय योजनाओं का बुनियादी ढांचा विकास	साडा, ग्वालियर	नव -09	76.07	42.05	100	31.54
	जल क्षेत्र परियोजना						
80	ग्वालियर शहर के लिए जलापूर्ति योजना का विकास	ग्वालियर नगर निगम	जुलाई-18	398.45	298.84	Non-starter project	0.00
	सीएमए ग्वालियर उप योग			**474.52**	**340.89**		**31.54**
	सीएमए जयपुर						
	सीवरेज						
81	जयपुर शहर, जेडीए में क्षेत्र विकास सहित अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) का कायाकल्प	जेडीए	जन-17	1582.06	1098.00	93	1059.00
	परिवहन क्षेत्र परियोजना						
82	जयपुर में जेपी-डीएलआई रेलवे लाइन पर एल/सी-211, गोनेर रोड, दंतली में विद्युतीकरण कार्य सहित सीमित ऊंचाई वाले सबवे (एलएचएस) के साथ 6 लेन आरओबी का निर्माण	जेडीए	जन-17	65.00	21.97	96	21.97
83	पंचायत भवन/एसबीबीजे बैंक से अंबाबारी टी-जंक्शन, जयपुर तक मौजूदा झोटवाड़ा आरओबी के समानांतर 3 लेन आरओबी का निर्माण	जेडीए	जन-17	166.73	118.87	61	86.87
84	एलसी-70 के स्थान पर 6 लेन के आरओबी का निर्माण जेपी-एसडब्ल्यूएम रेलवे लाइन पर, सीतापुर	जेडीए	जन-17	92.00	48.92	80	48.92
85	एलसी-200, बस्सी टाउन, जयपुर के स्थान पर एलएचएस के साथ 4 लेन आरओबी का निर्माण	जेडीए	जन-17	48.30	27.38	78	27.38

क्रम सं.	परियोजनाओं का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	भौतिक प्रगति (%) जैसा कि आईए(एस) द्वारा रिपोर्ट किया गया	वास्तविक जारी ऋण
86	जयपुर से सीकर रेलवे लाइन, जयपुर पर एलसी-102/2ई, जाहोटा के स्थान पर 4 लेन आरओबी का निर्माण	जेडीए	जन-17	42.00	31.50	82	31.50
87	जेडीए द्वारा अम्बेडकर सर्कल, जयपुर के पास सोडाला ट्राई-जंक्शन से एलआईसी कार्यालय तक एलिवेटेड रोड का निर्माण	जेडीए	जन-17	225.00	168.75	75	168.75
	सीएमए जयपुर-परिवहन			**639.03**	**417.39**		**385.39**
	सीएमए जयपुर सब टोटल			**2221.09**	**1515.39**		**1444.39**
	सीएमए पटियाला						
	सीवरेज						
88	पटियाला में ईपीसी आधार पर बड़ी नाडी और छोटी नाडी का कायाकल्प, एसटीपी और ईटीपी का निर्माण और सीवरेज नेटवर्क बिछाना	पीडीए	28-सित-20	208.33	152.52	43	31.25
	सीएमए पटियाला उप योग			**208.33**	**152.52**		**31.25**
	सीएमए हिसार						
	भूमि विकास परियोजना						
89	चरण- II - एकीकृत विमानन हब, हिसार का विकास	नगरिक उड्डयन	जुलाई-21	946.00	700.00	नॉन-स्टार्टर प्रोजेक्ट	
	सीएमए हिसार उप योग			**946.00**	**700.00**		**0.00**
	काउंटर मैग्नेट क्षेत्र-कुल			**3849.94**	**2708.80**		**1507.18**
	कुल			**12254.33**	**6407.20**		**4456.63**

अनुलग्नक-9.18

सीएजी रिपोर्ट के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन और विभागीय स्थिति का सारांश

4.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) की स्थापना (28 मार्च, 1985) एन.सी.आर.पी.बी. अधिनियम, 1985 (अधिनियम) के तहत की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) एक समन्वित योजना क्षेत्र है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटीडी) और सीमावर्ती राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश (यूपी) और राजस्थान के कई जिले शामिल हैं। लेखापरीक्षा ने देखा कि क्षेत्रीय योजना (आरपी)-2021 को अधिसूचित करने में साढ़े तीन साल से अधिक का विलम्ब था और आरपी-2021 की पहली समीक्षा डेढ़ साल के विलंब के बाद शुरू की गई थी। एनसीआर घटक क्षेत्रों के लिए उप-क्षेत्रीय योजनाओं के निर्माण में देरी, कार्यात्मक योजनाओं के गैर-निर्माण और एनसीआर में राष्ट्रीय संरक्षण क्षेत्र (एनसीजेड) के चित्रण में देरी हुई। यह देखा गया कि बोर्ड उस राज्य में संबंधित कानूनों के तहत प्रतिभागी राज्य द्वारा प्रस्तुत मास्टर प्लान को मंजूरी नहीं दे रहा था, न कि बोर्ड द्वारा। विभिन्न स्तरों पर क्षेत्रीय योजना के क्रियान्वयन का अपर्याप्त समन्वय एवं अनुश्रवण था।

मंत्रालय/एन.सी.आर.पी.बी. टिप्पणियाँ/उत्तर:

• क्षेत्रीय योजना और उसके संशोधन को अधिसूचित करने में विलम्ब

क्षेत्रीय योजना (आरपी)-2021 को सितंबर, 2005 में अधिसूचित किया गया था। एन.सी.आर.पी.बी. अधिनियम, 1985 इसके लागू होने की तारीख से हर पांच साल के बाद क्षेत्रीय योजना के संशोधन का प्रावधान करता है। क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा की प्रक्रिया जून 2009 में शुरू की गई थी, जिसमें क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एनसीआर के लिए जीआईएस डेटा बेस के सृजन और अद्यतन का प्रस्ताव 09.06.2009 को आयोजित 43वें परियोजना स्वीकृति और निगरानी समूह (पीएसएमजी)-I के समक्ष रखा गया था। हालांकि, 2011 के लिए अनंतिम जनसंख्या आंकड़ा केवल 2012 में उपलब्ध था। तदनुसार, संशोधित क्षेत्रीय योजना-2021 (डीआरआरपी-21) के मसौदे को बोर्ड द्वारा 20.01.2014 और बाद में 25.04.2014 को अनुमोदित किया गया था। तथापि, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की कुछ टिप्पणियों के कारण डीआरआरपी-21 के प्रकाशन को रोकना पड़ा।

• उप-क्षेत्रीय योजनाओं के निर्माण में विलम्ब

एन.सी.आर.पी.बी. अधिनियम, 1985 के अनुसार एनसीआर के घटक राज्यों के लिए उप-क्षेत्रीय योजना (एसआरपी) तैयार करने की जिम्मेदारी एनसीआर प्रतिभागी राज्यों की है, जहां इस तरह के निर्माण के लिए एन.सी.आर.पी.बी. अधिनियम, 1985 द्वारा कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि, बोर्ड ने इन एसआरपी को तैयार करने की सुविधा और व्यवस्था के लिए कई कदम उठाए हैं। एसआरपी-2021 की तैयारी के लिए बोर्ड द्वारा अगस्त, 2006 में एक विशिष्ट संगोष्ठी का आयोजन किया गया था जिसमें प्रतिभागी राज्यों द्वारा अनुपालन के लिए एसआरपी की तैयारी के लिए विस्तृत प्रक्रिया, दिशा-निर्देश और समय सीमा को अंतिम रूप दिया गया था। बोर्ड राज्यों द्वारा एसआरपी तैयार करने के लिए परामर्शी लागत की प्रतिपूर्ति के रूप में निधियों का भी प्रावधान करता है।

बोर्ड के प्रेरक प्रयासों के कारण दिसंबर, 2013 में यूपी के लिए एसआरपी, 2014 में हरियाणा और 2015 में राजस्थान को अंतिम रूप दिया गया था। इसके अलावा 2015 से नए जोड़े गए सात जिलों के लिए क्षेत्रीय योजना परिशिष्ट भी 2019 में बोर्ड के सामने रखा गया था। एनसीआर के हरियाणा उप-क्षेत्र के विस्तारित क्षेत्र के लिए एसआरपी पर बोर्ड द्वारा सितंबर, 2019 में कुछ टिप्पणियों के साथ विचार किया गया था, राजस्थान के एक अतिरिक्त जिले के लिए एसआरपी पर भी सितंबर, 2019 में विचार किया गया था और यूपी के दो अतिरिक्त जिलों के एसआरपी पर विचार किया गया है। 31.08.2021 को आयोजित 40वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड द्वारा। इसे यूपी सरकार द्वारा 07.01.2022 को प्रकाशित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि एमपीडी-2021 को दिल्ली के लिए एसआरपी माना जाए या नहीं, इस पर विचार-विमर्श के कारण दिल्ली के एसआरपी में देरी हुई। हालांकि, मामला आखिरकार सुलझा लिया गया है और दिल्ली के लिए एसआरपी अब 22.02.2021 को बोर्ड में प्राप्त हो गया है और 23.02.2021 को आयोजित योजना समिति की 69वीं बैठक में इसकी जांच की गई है। समिति ने कुछ टिप्पणियों के साथ बोर्ड की अगली बैठक में विचार हेतु एसआरपी की सिफारिश की। दिल्ली के लिए अद्यतन मसौदा एसआरपी-2021 पर 31.08.2021 को आयोजित 40वीं बैठक में बोर्ड द्वारा विचार किया गया था, जो दिसंबर, 2021 तक एनसीजेड के परिसीमन के अधीन था। प्रकाशित एसआरपी एनसीटी-दिल्ली सरकार द्वारा एनसीजेड के परिसीमन के बाद संशोधित होगा। इसके अलावा, यूडी, जीएनसीटीडी-दिल्ली ने अपने पत्र दिनांक 03.11.2021 से अवगत कराया है कि दिल्ली की एसआरपी-2021 को जीएनसीटीडी के शहरी विकास विभाग की वेबसाइट (**www.ud.delhigovt.nic.in)** पर अपलोड किया गया है। इसकी सूचना दो दैनिक प्रमुख समाचार पत्रों हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी) और दैनिक जागरण (हिंदी) में दिनांक 23.10.2021 को प्रकाशित की गई है। इसलिए जीएनसीटीडी दिल्ली से अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई की गई है।

• कार्यात्मक योजना ना बनाना

कार्यात्मक योजनाओं के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि एन.सी.आर.पी.बी. अधिनियम, 1985 की धारा 16 में प्रतिभागी राज्यों के उचित मार्गदर्शन के लिए कार्यात्मक योजनाएं तैयार करने का प्रावधान है। तदनुसार, सितंबर, 2005 में क्षेत्रीय योजना-2021 की अधिसूचना के बाद, बोर्ड ने माइक्रो और हाउसहोल्ड एंटरप्राइजेज, एनसीआर के लिए ड्रेनेज, एनसीआर के लिए परिवहन, एनसीआर के आर्थिक विकास और एनसीआर में भूजल रिचार्ज पर पांच कार्यात्मक योजनाएं तैयार की हैं।

• प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र (एनसीजेड) के परिसीमन में विलंब

एनसीआर में प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्रों (एनसीजेड) के संबंध में, यह कहा गया है कि एन.सी.आर.पी.बी. अधिनियम, 1985 की धारा 10 (ii) यह निर्धारित करती है कि क्षेत्रीय योजना उस तरीके को इंगित करेगी जिसमें एनसीआर में भूमि का उपयोग किया जाएगा, चाहे विकास द्वारा या संरक्षण द्वारा या अन्यथा। तदनुसार, एनसीजेड को भूमि उपयोग श्रेणियों में से एक के रूप में क्षेत्रीय योजना-2021 के प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र पर अस्थायी रूप से सीमांकित किया गया था जिसमें कुछ प्रमुख प्राकृतिक विशेषताएं/क्षेत्र शामिल थे। क्षेत्रीय योजना-2021 को सीमित ग्राउंड ट्रूथिंग के साथ राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इमेजरी 1999 के माध्यम से तैयार किया गया था जिसमें एनसीजेड को अस्थायी रूप से चिह्नित किया गया था। हालांकि, क्षेत्रीय योजना-2021 प्रावधानों के अनुसार, एनसीजेड सहित भूमि उपयोग का विवरण एनसीआर प्रतिभागी राज्यों द्वारा एसआरपी, मास्टर/विकास योजनाओं आदि की तैयारी के दौरान तैयार किया जाना है। इसके अलावा क्षेत्रीय योजना-2021 पर समीक्षा अभ्यास के दौरान, एनआरएससी की उपग्रह छवियों ने

भूमि उपयोग में भिन्नता दिखाई और इसलिए, एनसीआर प्रतिभागी राज्यों को नोटिस जारी किए गए। यूपी उप-क्षेत्र के संबंध में एनसीजेड का चित्रण राज्य द्वारा पहले ही पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा राजस्थान उप-क्षेत्र के अलवर जिले के लिए एनसीजेड का चित्रण भी बोर्ड कार्यालय द्वारा प्राप्त और जांचा गया है और राज्य द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। हरियाणा ने ग्राउंड ट्रूथिंग का काम भी हाथ में लिया है और उनका एनसीजेड प्रस्ताव शीघ्र ही आने की उम्मीद है। इसी तरह एनसीटी-दिल्ली एनसीजेड को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

• बोर्ड द्वारा मास्टर/विकास योजना का गैर-अनुमोदन

मास्टर/विकास योजनाओं के गैर-अनुमोदन के संबंध में, जनवरी/अप्रैल, 2018 में हमारे उत्तर में बोर्ड और मंत्रालय की प्रतिक्रिया को दोहराया जाता है। उत्तर में तथ्य सही हैं कि एन.सी.आर.पी.बी. अधिनियम, 1985 में मास्टर/विकास योजना के संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। इसलिए क्षेत्रीय योजना-2021 ने बोर्ड द्वारा मास्टर प्लान के अनुमोदन को अनिवार्य करने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान को शामिल करने की मांग की थी, जिसे एनसीआर के कुछ प्रतिभागी राज्यों द्वारा आपत्तियों के कारण शामिल नहीं किया जा सका। यह भी कहा गया है कि राजस्थान ने बोर्ड को परीक्षा और अनुमोदन के लिए मास्टर प्लान प्रस्तुत किया था क्योंकि राजस्थान उन राज्यों में से नहीं था जिन्होंने उपरोक्त प्रस्तावित प्रावधानों का विरोध किया था। यह आगे कहा गया है कि अधिनियम की धारा 29 (**i**) में प्रावधान है कि अंतिम रूप से प्रकाशित क्षेत्रीय योजना के संचालन में आने से, कोई भी विकास जो क्षेत्रीय योजना के साथ असंगत है, जैसा कि अंतिम रूप से प्रकाशित किया गया है, क्षेत्र में नहीं किया जाएगा। यह भी उल्लेखनीय है कि एन.सी.आर.पी.बी. अधिनियम, 1985 की धारा 27(**i**) के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि मे या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखित मे या किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण की किसी दिक्री या आदेश मे अंतर्विष्ट, उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगेI मास्टर/विकास योजना के अनुमोदन के मामले में 2005 में मांगी गई विधि मंत्रालय की राय अभी प्रतीक्षित है। हालांकि, एनसीआर में भाग लेने वाले प्रत्येक राज्य में 1987 में बनाए गए एनसीआर योजना और निगरानी प्रकोष्ठ को क्षेत्रीय योजना-21 के प्रावधानों के उल्लंघन की रिपोर्ट करने सहित समन्वय की कई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

• क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन का अपर्याप्त समन्वय और निगरानी

क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन एवं क्रियान्वयन का समन्वय एवं अनुश्रवण केन्द्रीय गृह एवं शहरी विकास मंत्री की अध्यक्षता में बोर्ड के माध्यम से किया जा रहा है। परियोजना स्वीकृति और निगरानी समूह- **I** (पीएसएमजी-I) और सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति; सदस्य सचिव, एन.सी.आर.पी.बी. की अध्यक्षता में सांविधिक योजना समिति और पीएसएमजी-**II** ; समय-समय पर आयोजित विभिन्न बैठकों में प्रतिभागी संबंधित राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियां। सदस्य सचिव, एन.सी.आर.पी.बी. की अध्यक्षता में एनसीआर प्रकोष्ठों को सौंपे गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने और क्षेत्रीय योजना की नीतियों और प्रस्तावों के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए एनसीआर प्रतिभागी राज्य के साथ अक्सर बैठकें की जाती हैं।

2019 से अब तक बोर्ड की चार बैठकें और योजना समिति की चार बैठकें हो चुकी हैं। बोर्ड द्वारा विभिन्न स्तरों पर क्षेत्रीय योजना का समुचित समन्वय एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं।

****

नोट्स

नोट्स